विषय सूची

भाग - क

	पृष्ठ संख्या
परिचय	1
कृषि और किसान कल्याण	4
ग्रामीण क्षेत्र	7
सामाजिक क्षेत्र स्वास्थ्य देख-रेख सहित	8
शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन	10
अवसंरचना और निवेश	12
वित्तीय क्षेत्रक सुधार	15
अभिशासन तथा कारोबार करने में आसानी	17
राजकोषीय अनुशासन	19

भाग - ख

कर सुधार	20
छोटे कर दाताओं को राहत	21
विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय	22
मेक इन इंडिया में सहायता करने के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना	24
पेंशन प्राप्त समाज की और बढ़ने के उपाय	24
सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय	25
कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना	25
कराधान के मामले में मुकदेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना	27
कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण	29
जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग	30
निष्कर्ष	31
अनुबंध	

भाग क के अनुबंध

अनुबंध - I	: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संबंधित नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन/सुधार	32
अनुबंध - II	: कारपोरेट बांड बाजार की गहनता के लिए उपाय	33
अनुबंध - IIIक	: महत्वपूर्ण मंत्रालयों, क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आवंटन	34
अनुबंध - III ख	: महत्वपूर्ण स्कीमों का आवंटन	35
अनुबंध - III ग	: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरित संसाधन	37

भाग ख के अनुबंध

प्रत्यक्ष कर	38
अप्रत्यक्ष कर	46
अन्य विधायी संशोधन	67

बजट 2016-2017

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

29 फरवरी, 2016

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2016-17 का बजट भाषण प्रस्तुत करता हूं।

2. मैं यह बजट ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। वैश्विक स्तर पर विकास 2014 के 3.4 प्रतिशत से कम होता हुआ 2015 में 3.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। वित्तीय बाजारों पर आघात हुए हैं और वैश्विक व्यापार कम हो गया है। विश्व स्तर पर इन प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना आधार मजबूत बनाए रखा है। हमारी अंतर्निहित ताकत और इस सरकार की नीतियों की मेहरबानी से, भारत को लेकर अपार विश्वास और आशा कायम है।

3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को मंद पड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक 'देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ' का नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच ने कहा है कि भारत का विकास 'असाधारण रूप से उच्च' रहा है। हमने यह उपलब्धि प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद हासिल की है कि हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली थी जिसमें विकास कम, महंगाई अधिक और सरकार की शासन करने की सामर्थ्य में निवेशक का विश्वास शून्य था। हमने इन मुश्किलों और चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है।

'कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें
लहर-लहर तूफ़ान मिले और मौज-मौज मझधार हमें
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको
इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें'

4. आइए, पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों की तुलना में, जब विकास दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई थी, अब हम अपनी उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की

वृद्धि दर अब बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गई है। ऐसा पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान विश्व निर्यातों में हुई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वैश्विक निर्यातों में 4.4 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद हुआ। पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति 9.4 प्रतिशत के स्तर पर थी। हमारी सरकार के कार्यकाल में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी मुद्रास्फीति कम होकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह उपलब्धि पिछली सरकार के अंतिम तीन वर्षों के दौरान हुई सामान्य वर्षा की तुलना में, लगातार दो वर्षों में मॉनसून की वर्षा में 13 प्रतिशत की कमी के बावजूद हासिल की गई।

5. हमारी वैदेशिक स्थिति मजबूत है। चालू खाता घाटा पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध के 18.4 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर इस वर्ष 14.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत रह जाएगा। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 350 बिलियन अमरीकी डालर हैं जो अब तक का अधिकतम स्तर है।

6. पिछले 21 महीनों में हमारे द्वारा किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था न केवल अधिक तीव्र विकास पथ पर स्थापित हुई है बल्कि इनके जरिए पिछली सरकार द्वारा सृजित विश्वास में मौजूद कमी को भी पाट दिया गया है। हमें कठिन वैश्विक माहौल, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों और बाधाकारी वातावरण में काम करना था।

महोदया, हमें आसमानी और सुल्तानी दोनों परिबलों ने परेशान किया है।

7. हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है, वह जनता का है और हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम इसे अपने लोगों, विशेषकर निर्धन और दलितों के कल्याण के लिए विवेक और समझदारी से खर्च करें। हमने 2015-16 में संशोधित अनुमान के स्तर पर अपने आयोजना व्यय में बढ़ोत्तरी की है, जबकि आम परिपाटी इसे कम करने की है। हमने ऐसा चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारने के बावजूद किया जिनसे राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

8. अब हमें भविष्य की ओर देखना है। वैश्विक स्तर पर और अधिक मंदी तथा खलबली मचने के जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत के लिए आर्थिक प्रबंधन का कार्य पेचीदा हो रहा है। इस स्थिति में हम पर तीन गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। पहला, हमें बृहत-आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करके इन जोखिमों से अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है। दूसरा, चूंकि विदेशी बाजार कमजोर हैं, इसलिए हमें घरेलू मांग और भारतीय बाजारों पर निर्भर रहना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत का विकास धीमा न हो। और तीसरा, हमें आर्थिक सुधारों और नीतिगत उपायों की रफ्तार बनाए रखनी है ताकि हमारी जनता का जीवन बेहतर हो सवेþ

9. हम इन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 सरकारी व्यय के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। 14वें वित्त आयोग ने करों में केंद्र का हिस्सा 68 प्रतिशत से घटाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। वित्त वर्ष 2015-16 में, हम करों में केंद्र के हिस्से में की गई बड़ी कटौती के बावजूद, राजस्व उछाल के कारण बजटीय व्यय में सुधार करने में समर्थ हुए। अगले वित्त वर्ष 2016-17 में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रक्षा कर्मियों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इसलिए, सरकार को अपने व्यय में प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हमारी इच्छा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय में वृद्धि की जाए और बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था हो। इससे उन क्षेत्रों की समस्या का समाधान हो पाएगा, जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार इस प्राथमिक दायित्व को एक बार निभा ले, तो यह अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देगी, जो सरकार के लिए अत्यधिक महत्व के हैं।

10. सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के परिव्यय को बढ़ाते हुए, सरकार समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए तीन मुख्य स्कीमें शुरू करेगी। प्रकृति के प्रतिकूल प्रभावों से किसान की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। किसान बीमा प्रीमियम की एक मामूली राशि अदा करेगा और कोई नुकसान होने की दशा में सर्वाधिक मुआवजा प्राप्त करेगा। **एक स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की जा रही है, जिसमें देश की एक-तिहाई आबादी को अस्पताली व्यय के संबंध में सुरक्षा दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक नया कदम उठा रही है कि बीपीएल परिवारों को सरकारी सब्सिडी की मदद से रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाए। इससे महिलाओं और उन बीपीएल परिवारों के स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा जो चूल्हे पर खाना बनाने के दुष्परिणामों से ग्रस्त हैं।**

11. वार्षिक बजट सरकार के लिए आने वाले वर्ष में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक अवसर भी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पर, कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराना है। सरकार अभी चल रहे सुधार कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास भी करेगी और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए सांविधानिक संशोधन पारित करना, शोधन अक्षमता और दिवालियापन कानून तथा संसद के समक्ष लंबित अन्य सुधार उपायों को पारित करना सुनिश्चित करेगी।

12. इसके अलावा, जैसाकि मैं आगे जाकर खुलासा करूंगा, हम महत्वपूर्ण सुधार शुरू करेंगे, जैसेकि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी लाभ उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएं जो उसके पात्र हैं। ऐसा 'आधार' मंच को सांविधिक समर्थन देकर किया जाएगा; परिवहन क्षेत्र से संबंधित विधायी ढांचे में बड़े परिवर्तन करना ताकि उसे बाधाओं और प्रतिबंधों से मुक्त किया जा सके; विपणन संबंधी नपी-तुली स्वतंत्रता देकर गैस की खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहन देना; वित्तीय फर्मों की समस्याओं के समाधान से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाना; सरकारी-निजी-भागीदारी की परियोजनाओं और जनोपयोगी सेवाओं से जुड़ी संविदाओं में विवाद के समाधान के लिए कानूनी ढांचे की व्यवस्था करना; बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना और साधारण बीमा कंपनियों की पब्लिक लिस्टिंग; तथा एफडीआई नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

13. इसलिए, अगले वर्ष के लिए हमारा एजेंडा इसी दिशा में 'ट्रॉंस्फॉर्म इंडिया' का है। इसलिए, मेरे बजट प्रस्ताव नौ विशिष्ट स्तंभों पर इसी परिवर्तनकारी एजेंडा पर टिके हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) कृषि और किसान कल्याण : किसानों की आय को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा;

(ii) ग्रामीण क्षेत्र : ग्रामीण रोजगार और अवसंरचना पर बल दिया जाएगा;

(iii) सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देख-रेख सहित : सभी को कल्याण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में शामिल करना;

(iv) शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन : भारत को ज्ञान आधारित और उत्पादनकारी समाज बनाना;

(v) अवसंरचना और निवेश : कार्यदक्षता और जीवन स्तर में सुधार लाना;

(vi) वित्तीय क्षेत्र के सुधार : पारदर्शिता और स्थिरता लाना;

(vii) अभिशासन और कारोबार करने में आसानी : लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता साकार करने में समर्थ बनाना;

(viii) राजकोषीय अनुशासन : सरकारी वित्त साधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और जरूरतमंद लोगों को लाभों की सुपुर्दगी; और

(ix) कर संबंधी सुधार : नागरिकों में विश्वास करके अनुपालन के बोझ को कम करना।

इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, मैं विशिष्ट नीतिगत उपाय रेखांकित करूंगा जिनका हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे नागरिकों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।

I. कृषि और किसान कल्याण

14. सबसे पहले, मैं कृषि और किसान कल्याण की बात करता हूं। हम अपने किसानों के प्रति आभारी हैं कि वे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें 'खाद्य सुरक्षा' से आगे सोचना होगा और अपने किसानों को 'आय सुरक्षा' देनी होगी। इसलिए, सरकार खेत और खेत से इतर क्षेत्रों में अपनी दखल कार्रवाई की दिशा बदलेगी ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। कृषि और किसान कल्याण के लिए हमारा कुल आबंटन 35,984 करोड़ रुपए है।

15. हमें अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग करने; सिंचाई के लिए नई अवसंरचना निर्मित करने; उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरता बनाए रखने; और मूल्यवर्धन प्रदान करने एवं खेत से बाजार तक संपर्क से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।

16. कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण साधन है। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर निवल जोत क्षेत्र में से केवल 46 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई होती है।

17. *'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना'* को सुदृढ़ किया गया है और इसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

18. एआईबीपी के तहत जिन 89 सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबे समय से पिछड़ रहा है, उसमें तेजी लाई जाएगी। इससे 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने में सहायता मिलेगी। इन परियोजनाओं के लिए अगले साल 17,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और अगले पांच वर्षों में 86,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि इनमें से 23 परियोजनाएं 31 मार्च, 2017 से पहले पूरी कर ली जाएं।

19. लगभग 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्पस निधि से नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि बनाई जाएगी। ये सब हासिल करने के लिए, 2016-17 में बजटीय सहायता और बाजार उधारों के जरिए कुल 12,517 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

20. इसके साथ-साथ 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर संपोषणीय भू-जल संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है, और इसके लिए बहुपक्षीय निधियन का प्रस्ताव है।

21. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम से कम 5 लाख फार्म तालाबों और कुओं तथा जैविक खाद के उत्पादन के लिए 10 लाख कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत आबंटनों का लाभकर उपयोग करके किया जाएगा।

22. मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का अब अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके जरिए, किसान मृदा के पोषक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वे उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मार्च, 2017 तक सभी 14 करोड़ जोतों को शामिल करने का लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता संबंधी राष्ट्रीय परियोजना हेतु 368 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उर्वरक कंपनियों के 2,000 मॉडल खुदरा बिक्री केंद्रों को अगले तीन वर्षों के दौरान मृदा और बीज परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उर्वरक कंपनियां शहर के कम्पोस्ट का सह विपणन भी करेंगी जो रसायन उर्वरक की क्षमता बढ़ाता है। *स्वच्छ भारत अभियान* के तहत शहर के कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करने के लिए एक नीति भी सरकार द्वारा अनुमोदित हो गई है।

23. वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में, जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके लिए, सरकार ने दो महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं। पहली, *'परम्परागत कृषि विकास योजना'* जिसके अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। दूसरी, सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है जो 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास' कहलाती है। मूल्यवर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात बाजार मिल सके। इन स्कीमों हेतु कुल 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

24. दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल किए गए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है।

25. 674 *कृषि विज्ञान केंद्रों* के बीच कुल 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इन *केंद्रों* की दक्षता एवं कार्यनिष्पादन में सुधार लाना है।

26. किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार, एकीकृत कृषि विपणन स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें साझा ई-मार्किट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में काम में लाया जाएगा। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना ई-मंच में शामिल होने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही

है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर लिया है और वे इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। आने वाले वर्ष में अधिक राज्यों के इस मंच से जुड़ने की आशा है। **एकीकृत कृषि विपणन ई-मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।**

27. चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई थी।

28. हम *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं की गई। यह स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। 2012-13 और 2013-14 में आबंटन केवल क्रमशः 8,885 करोड़ रुपए और 9,805 करोड़ रुपए था। हमने पिछले दो वर्षों में आबंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। राज्यों के हिस्से को मिलाकर, 2016-17 में कुल लगभग 27,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 की बजाय अब 2019 निश्चित किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार, निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान के औसत 73.5 किलोमीटर की तुलना में, इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा।

29. प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं।

30. किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में, 2016-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब तक का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपए होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए, बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

31. सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

32. हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। इसके लिए, 2016-17 में तीन विशिष्ट उपाय किए जांएगे। **पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनीटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं।**

33. किसान अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए अन्य संबद्ध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेरी-उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए, चार नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी : पहला, *'पशुधन संजीवनी',* जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है और जिसमें पशु स्वास्थ्य

कार्ड *(नकुल स्वास्थ्य पत्र)* का प्रावधान है; दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी; तीसरा, *'ई-पशुधन हॉट'* का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई-मार्किट पोर्टल है; और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 850 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।

34. शहद के उत्पादन में महत्तर वृद्धि हो रही है जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष के औसत से बढ़कर, वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रतिवर्ष हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन वर्ष 2014-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 86,500 मीट्रिक टन हो गया है। अब 90 प्रतिशत घरेलू शहद का निर्यात किया जाता है।

II. ग्रामीण क्षेत्र

35. कृषि के बाद, अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

36. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। यह पिछले पांच वर्षों की अवधि की तुलना में 228 प्रतिशत की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आबंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। ये अधिक आबंटन गांवों एवं छोटे शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्यरूप देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशानिर्देश तैयार करेगा।

37. सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को *दीन दयाल अन्त्योदय मिशन* के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा। बहुविध आजीविका के प्रोत्साहन के लिए स्व-सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी।

38. वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है।

39. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, के तहत 300 ग्रामीण-शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचना सुविधाएं और बाजार पहुंच सुलभ कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे। ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर भी प्रदान करेंगे।

40. 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 18,542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने सम्बोधन में यह घोषणा की थी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण 1000 दिनों में कर लिया जाएगा।

41. 23 फरवरी, 2016 तक, 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह पिछले तीन

वर्षों में हासिल की गई कुल उपलब्धियों से भी अधिक है। सरकार 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीन दयााल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीमों हेतु 8,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

42. *स्वच्छ भारत मिशन,* विशेष कर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। यह विषय राष्ट्रपिता के ह्रदय के करीब था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार, संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस की गई। यह लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बन गया है। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरूआत की है जिसके फलस्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

43. इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए, उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों से प्राथमिकता प्राप्त आबंटन किया जाएगा, जो खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं।

44. हमें अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 12 करोड़ परिवारों के पास कम्प्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दो स्कीमें पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीमें हैं - राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन; और डिजिटला साक्षरता अभियान (दिशा)। **अब हम ग्रामीण भारत हेतु एक नई डिजीटल साक्षरता मिशन स्कीम आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा।**

45. विवादमुक्त स्वामित्व बनाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया पहल के तहत नवीकृत किया गया है और इसे 1 अप्रैल, 2016 से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इस नवीकृत कार्यक्रम से एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। इस प्रयोजनार्थ 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

46. *पंचायती राज* संस्थाओं को अभिशासन क्षमता विकसित करनी होगी ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सवेþ इसलिए एक नई पुनर्संरचित स्कीम, *राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान* शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 2016-17 में 655 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

47. समग्र ग्रामीण विकास के लिए, मैंने 2016-17 के बजट में 87,765 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

III. सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देख-रेख सहित

48. जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए वह क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था 'जब तक भारत की जनता एक बार फिर से शिक्षित नहीं हो जाती, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और उनकी अच्छी देखभाल नहीं की जाती, तब तक उनके लिए राजनीति के कोई मायने नहीं हैं'। मैं, अब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अपने प्रस्तावों की मुख्य बातें प्रस्तुत करता हूं।

49. हमारे देश में, रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता था। धीरे-धीरे यह मध्यम वर्ग तक फैल गई। लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई घर में आग जलाना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का समय आ गया है।

50. **हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने की आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस वर्ष के बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।** इससे 2016-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। यह स्कीम कम से कम दो वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके इससे देश भर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस उपाय से महिलाओं का सशक्तीकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे भोजन बनाने की मेहनत और उसमें लगने वाला समय कम हो जाएगा। इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

51. मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। उनका यह कार्य देश के लिए गर्व का विषय है।

52. गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो प्रति वर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाता है। परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। **ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए, सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम शुरू करेगी जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 30,000 रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज दिया जाएगा।**

53. किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती रही है। हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की *जन औषधि योजना* के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3,000 स्टोर खोले जाएंगे।

54. भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप, 3.4 करोड़ डाइलिसिज़ सत्रों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। भारत में लगभग 4,950 डाइलिसिज़ केंद्र हैं जो मुख्यतः निजी क्षेत्र में और प्रमुख नगरों में हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक डाइलिसिज़ सत्र के लिए लगभग 2,000 रुपए का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से अधिक बैठता है। इसके अलावा, अधिकतर परिवारों को डाइलिसिज़ सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है।

55. इस स्थिति का समाधान करने के लिए, मैं 'राष्ट्रीय डाइलिसिज़ सेवा कार्यक्रम' की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिज़ सेवाएं मुहैया कराने के लिए

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत को कम करने के लिए, मैं डायलिसिज़ उपकरणों के कुछ हिस्से-पुर्जों पर बुनियादी सीमा-शुल्क, उत्पाद/सीवीडी और एसएडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

56. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'स्टैण्ड अप इंडिया स्कीम' को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए है। यह स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए, प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी दो परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से कम से कम 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे।

57. हम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण का वर्ष होना चाहिए। हमने उद्यमिता पारि-तंत्र निर्मित करने के संबंध में, दलित भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत वार्ता की है। उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराएगा ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें, वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाया जा सके और 'स्टैण्ड अप इंडिया' पहल का लाभ उठाया जा सके।

58. अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा कौशल विकास की स्कीमों जैसे कि बहु-क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम तथा 'उस्ताद' स्कीम का कारगर कार्यान्वयन किया जाएगा।

IV. शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन

59. मैं, अब शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे बजट प्रस्तावों का चौथा स्तंभ है।

शिक्षा

60. देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद, अब हम शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ा आबंटन किया जाएगा। **इसके अलावा, अगले दो वर्ष में, इस योजना में अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।**

61. हम उच्च शिक्षण संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में मदद मिल सके। **दस सरकारी और दस निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना मुहैया कराई जाएगी ताकि वे विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें** इससे आम भारतीयों को उच्च-स्तरीय शिक्षा कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी।

62. **हमने 1000 करोड़ रुपए के आरंभिक पूंजी आधार के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) स्थापित करने का निर्णय लिया है। हेफा ''न हानि न लाभ'' के आधार पर कार्य करने वाला संगठन होगा जो बाजार से निधियां प्राप्त करेगा तथा इसकी अनुपूर्ति दान और सीएसआर निधियों से करेगा।** इन निधियों का उपयोग हमारी शीर्ष संस्थाओं में अवसंरचना-सुधार के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा और इसकी व्यवस्था आंतरिक निधियों से की जाएगी।

63. विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और नियोक्ताओं को अभ्यर्थियों के डिग्री प्रमाणपत्र सुलभ कराने के लिए, **प्रतिभूति निक्षेपागार की तर्ज पर, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रों, कॉलेज उपाधियों, शैक्षणिक पुरस्कारों तथा अंक तालिकाओं संबंधी एक डिजिटल निक्षेपागार की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।** यह उनकी प्रामाणिकता के वैधीकरण, सुरक्षित संचयन और आसानी से पुनः प्राप्ति में सहायक होगा।

कौशल विकास

64. "स्किल इंडिया" मिशन का उद्देश्य हमारी मानव-आबादी का लाभ उठाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ने अपनी शुरूआत से एक विस्तृत कौशल विकास पारितंत्र तैयार किया है और इसके तहत 76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। हम, *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)* के जरिए उद्यमिता को युवाओं के दरवाजे पर लाना चाहते हैं। हमने देश भर में 1500 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं, इन कार्यक्रमों के लिए 1,700 करोड़ रुपए की राशि अलग से रख रहा हूँ।

65. हमने उद्योग जगत और शिक्षाविदों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय कौशल विकास प्रमाणन बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। हम अगले तीन वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक उन्नत बनाने का प्रस्ताव करते हैं।

66. **उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के जरिए 2200 कालेजों, 300 विद्यालयों, 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किया जाएगा।** उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों खासकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को मार्गदर्शकों और ऋण बाजारों से जोड़ जाएगा।

रोजगार सृजन

67. **औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से प्रथम तीन वर्षों के लिए 8.33% के हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान करेगी।** इससे नियोक्ता बेरोजगार व्यक्तियों को भर्ती करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को भी बहियों में दर्ज करने के लिए भी प्रेरित होंगे। इस व्यवस्था को अर्ध-कुशल और अकुशल कामगारों के लक्षित समूह पर मार्गीकृत करने के उद्देश्य से, यह स्कीम 15,000 रुपए प्रतिमाह तक के वेतनभोगियों पर भी लागू की जाएगी। मैंने इस स्कीम के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

68. इसके अतिरिक्त, वित्त विधेयक, 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 80जजकक के अधीन

उपलब्ध रोजगार सृजन प्रोत्साहन का दायरा और अधिक व्यापक तथा उदार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह कटौती न केवल किसी कारखाने में वस्तुओं के विनिर्माण से आय प्राप्त करने वाले कर निर्धारितियों के लिए उपलब्ध होगी बल्कि ऐसे सभी निर्धारितियों के लिए भी उपलब्ध होगी जिनकी इस अधिनियम के तहत सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है। इस प्रकार, ऐसे सभी कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के 30% की कटौती का तीन वर्षों तक दावा किया जा सकता है। वर्ष के दौरान उन्हें नियोजित किए जाने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या को भी 300 से घटाकर 240 दिन किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, 25,000 रुपए से अधिक मासिक परिलब्धियों वाले कर्मचारियों के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। इसके अलावा, उन कर्मचारियों के संबंध में भी कोई कटौती स्वीकार्य नहीं होगी जिनके लिए सरकार संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम की अदायगी कर रही है।

69. जुलाई, 2015 में एक राष्ट्रीय करियर सेवा प्रारम्भ की गई थी। रोजगार चाहने वाले 35 मिलियन से अधिक लोग इस सेवा में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। हम, 2016-17 के अंत तक 100 मॉडल करियर केन्द्रों को संचालन योग्य बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हम राज्य के रोजगार कार्यालयों को राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफार्म से जोड़ने का भी प्रस्ताव करते हैं।

70. खुदरा व्यापार देश में सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र नियोक्ता है। यदि विनियमों को सरल बनाया जाए, तो इस क्षेत्र में और भी अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। **यदि शॉपिंग मालों को सप्ताह के सातों दिन खुला रखा जा सकता है, तो छोटी और मध्यम दुकानों को क्यों नहीं? इन दुकानों को स्वैच्छिक आधार पर सप्ताह के सभी सात दिन खुले रहने का विकल्प दिया जाना चाहिए।** वस्तुतः अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश, प्रतिदिन कार्य घंटों की संख्या आदि के दृष्टिगत कामगारों के हितों को भी संरक्षित करना होगा। हम एक ऐसा मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक परिचालित करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।

V अवसंरचना और निवेश

71. बजट के मुख्य विषय "ट्रांस्फार्म इंडिया" का पांचवां सहायक स्तम्भ है - अवसंरचना और निवेश।

72. सड़क क्षेत्र में, पुराने कारकों के कारण वर्ष के प्रारम्भ में 70 से अधिक परियोजनाएं अटकी पड़ी थीं। इन परियोजनाओं की कुल लम्बाई 8,300 किलोमीटर थी, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल था। अनुकरणीय और सकारात्मक हस्तक्षेप कार्रवाई से, इनमें से लगभग 85% परियोजनाएं पुनः पटरी पर आ गई है।

73. भारत में पहली बार 2015 में सर्वाधिक किलोमीटर के राजमार्ग की संविदा प्रदान की गई। साथ ही, मोटरवाहनों का सर्वाधिक उत्पादन भी 2015 में किया गया। यह अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है; लेकिन इससे एक चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। अतः, हमने सड़क निर्माण की प्रक्रिया की गति भी तेज कर दी है। मैंने, राजमार्गों के लिए बजट में 55,000 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसे एनएचएआई द्वारा बांडों के जरिए जुटाए जाने वाले अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए की राशि से और भी बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार 2016-17 के दौरान, सड़क

क्षेत्र में कुल निवेश, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आवंटन सहित, ₹97,000 करोड़ होगा।

74. **रेलवे के पूंजीगत व्यय को मिलाकर, 2016-17, में सड़कों और रेलवे संबंधी कुल परिव्यय 2,18,000 करोड़ रुपए होगा।**

75. हम, 2016-17 में लगभग 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को अनुमोदन देने की भी आशा करते हैं। यह गत दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक होगा। वर्ष 2016-17 में सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की गति में भी लगभग 10,000 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 50,000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों को भी राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नत करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

76. ब.अ. 2016-17 में अवसंरचना के लिए कुल परिव्यय 2,21,246 करोड़ रुपए बैठता है।

77. आम आदमी और मध्य वर्ग के लाभार्थ हमारी सड़कों पर यात्रियों के यातायात को और अधिक दक्ष बनाया जाना जरूरी है। यह पूर्णतः एक अपरिष्कृत क्षेत्र है जिसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परमिट राज का उन्मूलन हमारा मध्यावधिक लक्ष्य होगा। **सरकार, मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेगी और सड़क परिवहन क्षेत्र को यात्री के खंड में खोलेगी। राज्यों के लिए एक समर्थकारी पारि-तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उन्हें नए विधिक ढांचे को अंगीकार करने का विकल्प दिया जाएगा।** उद्यमी, कतिपय कार्यदक्षता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के अध्यधीन विभिन्न मार्गों पर बसें चला सकेंगे। इस युगांतरकारी पहल के मुख्य लाभों में अधिक दक्ष सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, लोगों को और अधिक जनसुविधा, इस मरणासन्न क्षेत्र में नया निवेश, हमारे युवाओं के लिए नए रोजगार, स्टार्ट-अप उद्यमियों का विकास और अन्य कई गुना प्रभाव शामिल होंगे। इन उपायों से हम विकास के मार्ग पर अधिक तेज़ी से बढ़ पांएगे।

78. वर्ष 2015 में, भारत के बड़े पत्तनों ने अब तक की सर्वाधिक गुणवत्ता वाले कार्गो को हैंडल किया है। हमने बड़े पत्तनों में अब तक की सर्वाधिक क्षमता का भी अभिवर्धन किया है। हमने पत्तनों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। सागरमाला परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। हम देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों में नए ग्रीनफील्ड पत्तन विकसित करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों संबंधी कार्य भी शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है। इस पहल के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

79. नागर विमानन क्षेत्र में, सरकार असेवित तथा अल्पसेवित विमानपत्तनों को पुनः चालू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है। देश में लगभग 160 विमानपत्तनों और राज्य सरकारों के पास हवाई पट्टियां हैं। इनमें से प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक की अनुमानित लागत से पुनः चालू किया जा सकता है। हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इनमें से कुछ विमान पत्तनों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के भागीदार बनेंगे। इसी प्रकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 25 में से 10 अकार्यात्मक हवाई पट्टियों को भी विकसित करेंगे।

80. भारत में तेल और गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है। तथापि, उनका अन्वेषण और दोहन हमारी क्षमता से कम रहा है। हाड्रोकार्बन का आयात हमारे कुल भारतीय आयात का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे यहाँ बढ़ रही मांग की स्थिति है, उत्पादन में लगभग स्थिरता है, जिसके

फलस्वरूप आयातों में तीव्र वृद्धि हो रही है। आत्म-निर्भरता के प्रति हमारे अभियान के भाग के रूप में, सरकार गहरे पानी, अति गहरे पानी और उच्च दबाव तथा उच्च ताप वाले क्षेत्रों, जिनका उच्चतर लागत तथा उच्चतर जोखिमों के चलते वर्तमान में दोहन नहीं किया जा रहा है, से गैस-उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। नए अन्वेषणों का एक प्रस्ताव विचाराधीन है तथा जिन क्षेत्रों में अभी उत्पादन आरंभ किया जाना है उन्हें पहले एक निर्धारित विपणन स्वतंत्रता दी जाए तथा दूसरी बात यह कि इसके लिए एक पूर्व निर्धारित अधिकतम मूल ज्ञात किया जाए जो वैकल्पिक ईंधनों के पहुँच मूल्य के सिद्धांत पर तय किया जाएगा।

81. अवसंरचना क्षेत्र के दूसरे खंडों में, हमारी सरकार ने गत दो दशकों में कोयला उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि, उत्पादन में अब तक की सर्वाधिक क्षमता अभिवर्धन, पारेषण लाइनों में और एलईडी बल्बों के वितरण में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

82. विद्युत क्षेत्र में, हमें दीर्घावधिक स्थिरता के लिए विद्युत उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। सरकार, नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश के अभिवर्धन के लिए, अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली एक व्यापक आयोजना तैयार करने जा रही है। प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए तक का बजटीय आवंटन और सरकारी क्षेत्र के निवेशों का इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित निवेश जुटाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

83. वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी, आईआरईडीए, नबार्ड तथा अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को बांड जारी करके लगभग ₹31,300 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति देगी।

84. हमारे निजी क्षेत्रक अवसंरचना सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से अनेक सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में क्रियान्वित किए जाते हैं। मैं इस क्षेत्र में एक बार फिर से तेजी लाने के लिए तीन नई पहलों की घोषणा करता हूँ।

(i) **अवसंरचना संबंधी निर्माण संविदाओं, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा सार्वजनिक उपयोगिता संविदाओं में विवाद समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु 2016-17 में एक सार्वजनिक उपयोगिता (विवाद समाधान) विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा;**

(ii) **सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी रियायत करारों को पुनः वार्ता तय करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा ये दिशा-निर्देश ऐसी संविदाओं की दीर्घावधिक प्रकृति तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था की संभावित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाएंगे तथा इस प्रयोजनार्थ पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।**

(iii) **अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नई ऋण रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित ऋण संवर्धन ढांचों पर बल दिया जाएगा तथा जोखिम की एक मानक अवधारणा पर निर्भर नहीं रहा जाएगा क्योंकि इसकी परिणति प्रायः गलत मूल्य पर प्राप्त ऋणों में होती है।**

85. **मैं हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में आगे और सुधार लाने की घोषणा करता हूँ।** प्रस्तावित परिवर्तन बीमा और पेंशन, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, स्टाक एक्सचेंज आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध **I** में दिया गया है।

86. अधिक संख्या में उत्पादों एवं देशों को शामिल करने के लिए 'ड्यूटी ड्रॉ बैक स्कीम' को व्यापक और गहन बनाया गया है। सरकार निर्यात क्षेत्रक को सहायता प्रदान करने की दिशा में उपाय जारी रखेगी।

87. हमारी प्रत्यक्ष विदेशी नीति में किसानों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हमारे किसानों द्वारा उगाए गए फल और सब्जियों की काफी अधिक मात्रा को या तो सही मूल्य नहीं मिल पाता या फिर ये वस्तुएं बाजार में पहुँच नहीं पाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा व्यापार को कहीं अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है। भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों के विपणन हेतु एफआईपीबी मार्ग के जरिए 100% एफडीआई अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा काफी अधिक संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

88. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश तथा स्ट्रैटजिक बिक्री सहित सरकारी निवेश के प्रबंधन हेतु एक नई नीति अनुमोदित की गई है। हमें नई परियोजनाओं में निवेश हेतु संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की परिसंपत्तियों का उपयोग करना है। **हम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे भूमि, विनिर्माणकारी यूनिटों आदि जैसी व्यष्टि आस्तियों का विनिवेश करके आस्ति के बराबर मूल्य प्राप्त करें। नीति आयोग इस स्ट्रैटजिक बिक्री के लिए उद्यमों की पहचान करेगा।**

89. हम पूंजी पुनर्संरचना, लाभांश, बोनस शेयर आदि जैसे मुद्दों का समाधान करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के दक्ष प्रबंधन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे। **विनिवेश विभाग को नया नाम "निवेश तथा सरकारी आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)" दिया जा रहा है।**

VI. वित्तीय क्षेत्रक सुधार

90. प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु एक स्फूर्त वित्तीय क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। अपने पिछले दो बजटों में, मैंने, इस संबंध में कई उपायों की घोषणा की थी। अब मैं निम्नलिखित पहल की घोषणा करता हूँः

(i) वित्तीय प्रतिष्ठानों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्थागत शून्य विद्यमान है। 2016-17 के दौरान संसद में **वित्तीय प्रतिष्ठानों की समस्याओं के समाधान संबंधी एक व्यापक संहिता**" विधेयक के रूप में पुरःस्थापित की जाएगी। यह संहिता बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय क्षेत्रक के निकायों में दिवालियापन की स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष समाधान तंत्र उपलब्ध कराएगी। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता 2015 के साथ ही उस संहिता को अधिनियमित कर दिए जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यापक समाधान तंत्र उपलब्ध होगा।

(ii) आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा रहा है ताकि वित्त विधेयक 2016 के जरिए **मौद्रिक नीति ढांचा तथा मौद्रिक नीति समिति** के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था की जा सके। समिति आधारित दृष्टिकोण से मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व और पारदर्शिता प्राप्त होगी।

(iii) वित्तीय क्षेत्र में समेकित आंकड़ा समेकन तथा विश्लेषण को सुसाध्य बनाने के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में एक **वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र** स्थापित किया जाएगा।

(iv) **सरकारी प्रतिभूतियों में बृहत्तर खुदरा प्रतिभागिता** को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से तथा एनडीएस-ओएम व्यापार मंच तक पहुँच स्थापित करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में प्रतिभागिता को सुसाध्य बनाएगा।

(v) सेबी द्वारा जिंस व्युत्पाद बाजार में नए व्युत्पादों को विकसित किया जाएगा।

(vi) **कारपोरेट बांड बाजार को गहन बनाने** में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे जिनका ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध-ख्ख् में दिया गया है। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता के अधिनियमन से कारपोरेट बांड बाजार के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(vii) बैकिंग क्षेत्रक में दबाव युक्त आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं, **सारफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन** करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि एआरसी के प्रायोजक को उस एआरसी में 100% स्टेक धारिता रखने की क्षमता प्राप्त हो तथा गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश की अनुमति मिले।

(viii) अभी हाल में, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के "**अवैध जमा राशि प्राप्त करने की स्कीमों**" द्वारा धोखा-धड़ी का शिकार हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन स्कीमों के सबसे अधिक शिकार गरीब तथा वित्तीय जानकारी न रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्कीमों का प्रचालन प्रायः अनेक राज्यों में फैला होता है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसी स्कीमों के आतंक से निपटने के लिए 2016-17 में **व्यापक केंद्रीय विधान** लाया जाए।

(ix) मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आगामी वर्ष में **सेबी अधिनियम 1992** में संशोधन किया जाए ताकि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में सदस्यों तथा पीठों की संख्या और बढ़ाई जा सके।

91. जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से पूर्णतः अवगत हैं; वित्तीय क्षेत्रक का सामर्थ्य एक मजबूत तथा सुचारू रूप में कार्य करने वाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के संपुष्टीकरण हेतु पहले से ही '**इंद्रधनुष**' नामक एक व्यापक योजना है जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे समक्ष अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **भारग्रस्त** आस्तियों की समस्या है जो काफी समय से चली आ रही है। इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं। हम बैंकों के ऋण प्रदायी और कार्मिक संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रकों जैसेकि विद्युत, कोयला, राजमार्ग, चीनी और इस्पात में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया है। बैंक रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरूद्धार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वसूलियां

प्राप्त करने की दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं।

92. बैंकों के इन प्रयासों में सहायता करने तथा साथ ही ऋण वृद्धि में भी मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ । यदि इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी, तो हम इसके लिए संसाधनों का पता लगाएंगे। हम इन बैंकों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

93. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ तथा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। 2016-17 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्रियाशील किया जाएगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। आईडीबीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और अपनी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से कम करने के विकल्प पर भी विचार करेगी।

94. भारग्रस्त आस्तियों से संबंधित समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ऋण वसूली अधिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा जिसमें मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने तथा न्यायालयी मामलों में कम्प्यूटरीकृत प्रक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि न्यायालयों में सुनवाइयों की संख्या में कमी लाई जा सके तथा मामलों का तेजी से निपटान हो।

95. व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर खड़े उद्यमियों को लाभ पहुँचाने के लिए **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** का शुभारंभ किया गया था। बैंकों तथा एनबीएफसी-एमएफआई ने रिपोर्ट किया है कि इस वर्ष फरवरी के आंरभ तक पीएमएमवाई के अंतर्गत, 2.5 करोड़ से भी अधिक उधार लेनेवालों को मंजूर की गई राशि लगभग एक लाख करोड़ रु. पर पहुँच गई है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अगले वर्ष के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए।

96. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने के लिए, हम आगामी तीन वर्षों में व्यापक राष्ट्रव्यापी आधार पर डाकघरों में एटीएम और माइक्रो एटीएम सेवाओं को चालू करेंगे।

97. सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनियों में जनता की शेयर धारिता उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक उपाय है। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

VII. अभिशासन तथा कारोबार करने में आसानी

98. हमारी सरकार प्रक्रियागत सुधारों; सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सरकारी प्रक्रियाओं आदि पर विशेष ध्यान देते हुए सुशासन पर अभूतपूर्व बल दे रही है। इसके पीछे हमारा लक्ष्य यह है कि सरकारी एजेंसियों के साथ जन-साधारण के पारस्परिक संबंध के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

99. विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों के यौक्तिकीकरण के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है। स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा और इनका यौक्तिकीकरण भी किया जा रहा है।

100. न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन का अति महत्वपूर्ण घटक है - वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडियों और वित्तीय सहायता का लक्ष्यबद्ध संवितरण सुनिश्चित करना।

सरकारी धन निर्धनों और पात्र व्यक्तियों के पास बिना किसी विपथन के पहुँचना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तीन विशिष्ट पहल प्रस्तावित हैं।

- पहला, हम *"आधार"* व्यवस्था का प्रयोग करके वित्तीय सहायता और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं की लक्ष्यबद्ध सुपुर्दगी के लिए विधेयक पेश करेंगे। यह विधेयक संसद के वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तथापि, *आधार* संख्या या प्रमाणीकरण से नागरिकता या निवास स्थान का कोई अधिकार नहीं मिलता। लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करने के लिए 'आधार' का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा मंच तैयार किया जाएगा। यह एक परिवर्तनकारी कानून होगा जिससे निर्धन और कमजोर वर्ग लाभान्वित होंगे।

- दूसरा, हम एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पहले ही प्रारंभ कर चुके है। इस सफल अनुभव के आधार पर, अब हमारा प्रस्ताव देश के कुछ जिलों में उर्वरकों के लिए प्रायोगिक आधार पर डीबीटी प्रारंभ करने का है ताकि किसानों को सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

- तीसरा, देश की 5.35 लाख उचित दर दुकानों में से 3 लाख उचित दर दुकानों को मार्च, 2017 तक स्वचालन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

101. हमें माल और सेवाओं की सरकारी खरीद में और अधिक पारदर्शिता और दक्षता लानी है। आपूर्ति और निपटान महानिदेशक (डीजीएसएंडडी) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रेरित मंच की व्यवस्था करेगा।

102. कारोबार करना सरल बनाने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से हम संसद के वर्तमान बजट सत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक से स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए अनुकूल माहौल में भी और सुधार लाया जा सकेगा। कंपनियों का पंजीकरण भी एक दिन में हो जाएगा।

103. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की मॉनीटरिंग सुशासन का प्रमुख अवयव है। दालों की कीमतों में तीव्र वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और मूल्य स्थिरीकरण निधि से बाजार मूल्य पर खरीद करते हुए दालों का बफर स्टाक बनाने की मंजूरी दी है। बाजार के हस्तक्षेपों को संभालने के लिए इस निधि में 900 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि का प्रावधान किया गया है।

104. अध्यक्ष महोदया, सुशासन के लिए हमें देश की विविधता में एकता से लाभ उठाना होगा। आपसी समझ को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न राज्यों और जिलों के बीच ढांचागत घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रस्ताव है। ***राज्यों और जिलों को परस्पर जोड़ने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" प्रारंभ किया जाएगा जो भाषा, व्यापार, संस्कृति, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा।*** हम राज्यों और जिलों की भागीदारी के साथ पारस्परिक करार के माध्यम से इसे अमल में लाएंगे।

105. वर्ष 2017 में, हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा। हम स्वतंत्रता की

70वीं वर्षगांठ के आगे राष्ट्र की यात्रा के लिए नए मुकाम तय करेंगे। इतिहासकार डा टॉयनबी ने कहा था कि "एक अध्याय जिसका प्रारंभ पश्चिमी था, उसका अंत भारतीय ही होना होगा...." मेरा विश्वास है कि वर्ष 2017 उस महान इतिहासकार के सपने को सच सिद्ध करेगा। हमारी स्कीम "**एक भारत श्रेष्ठ भारत**" इस स्वप्न का ही हिस्सा है।

VIII. राजकोषीय अनुशासन

106. अब मैं वर्ष 2016-17 के बजट के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

107. यह बजट तैयार करते समय, मुझे एफआरबीएम रोडमैप के बारे में परस्पर-विरोधी संकेत मिले हैं। विभिन्न विचारधाराओं ने या तो राजकोषीय समेकन और स्थिरता के पक्ष में या कम उत्साही समेकन के लिए और विकास को अधिक बढ़ावा देने के तर्क दिए हैं। मैंने नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद निर्णय लिया है कि समझदारी राजकोषीय लक्ष्यों पर डटे रहने में ही है। परिणामतः, सं.अ. 2015-16 और ब.अ. 2016-17 में राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत पर रखा गया है। ऐसा करते हुए, मैने यह भी सुनिश्चित किया है कि विकास के एजेंडे को जोखिम में न डाला जाए।

108. वर्ष 2016-17 के बजट में कुल व्यय 19.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 5.50 लाख करोड़ रुपए का आयोजना व्यय और 14.28 लाख करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न व्यय होगा। वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में 15.3 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। आयोजना आवंटनों में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों का कल्याण, अवसंरचना इत्यादि जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। राज्यों को अधिक सशक्त बनाने की नीति जारी रखते हुए राज्यों को अंतरित किए जा रहे कुल संसाधन संशोधित अनुमान 2015-16 की तुलना में 99,681 करोड़ रुपए अधिक थे और वास्तविक 2014-15 की तुलना में 2,46,024 करोड़ रुपए अधिक हैं। कतिपय मुख्य क्षेत्रों और स्कीमों में आवंटनों का ब्यौरा भाषण के अनुबंध-III में दिया गया है।

109. यह 12वीं योजना का अंतिम वर्ष है। उत्तरोत्तर समितियों ने सरकारी व्यय के आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण की जरूरत पर प्रश्न उठाया है। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही हैं कि आयोजना व्यय अच्छे और आयोजना-भिन्न व्यय बुरे होते हैं। इसकी परिणति बजट में विकृत आवंटनों में होती है। हमें इसे ठीक करने और सरकारी व्यय के राजस्व और पूँजी वर्गीकरण पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतः हमने निर्णय लिया है कि आयोजना और आयोजना-भिन्न वर्गीकरण को वित्तीय वर्ष 2017-18 से समाप्त कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय इस मानले में, केंद्रीय और राज्यों के बजटों को समरूप बनाने के लिए, राज्य के वित्त विभागों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगा।

110. सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की जा रही प्रत्येक नई स्कीम की समापन तारीख और परिणामी समीक्षा होगी। इस वर्ष के बजट का आशाजनक लक्षण यह है कि हमने राजस्व घाटे को सं.अ. 2015-16 में सघउ के 2.8% से सुधार करते हुए 2.5% पर ला दिया है।

118. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।

111. एफआरबीएम अधिनियम एक दशक से अधिक समय से कार्यान्वयनाधीन रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण लाभ लिए हैं। ऐसा मानने वालों का एक समूह है जो यह विश्वास करता है कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की नियत संख्याओं की बजाय यह बेहतर होगा कि लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे की रेंज रखी जाए जो बदलती स्थितियों से निपटने में सरकार के लिए आवश्यक नीतिगत गुजांइश देगी। एक सुझाव यह भी है कि राजकोषीय विस्तार या संकुचन को अर्थव्यवस्था में क्रमशः ऋण संकुचन अथवा विस्तार के अनुरूप किया जाए। राजकोषीय विवेक और समेकन के प्रति वचनबद्ध रहते हुए, अब समय आ गया है कि विशेषतया अनिश्चितता और अस्थिरता जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए मापदंड बन गए हैं, के परिप्रेक्ष्य में एफआरबीएम अधिनियम के कार्यकरण की समीक्षा की जाए। इसलिए, मैं एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और भावी मार्ग हेतु सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूं।

112. जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पिछली परंपरा का अनुपालन करते हुए इस रिपोर्ट की पड़ताल करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही, मैंने बजट में आवश्यक अंतरिम प्रावधान किए हैं।

113. हमनें 1500 से अधिक केंद्रीय आयोजना स्कीमों को लगभग 300 केंद्रीय क्षेत्र और 30 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में मिलाकर उन्हें युक्तिसंगत बनाया और पुनर्सरचित किया है। इससे व्यय की अतिव्याप्ति से बचा जा सकेगा। मैं इस बात पर बल देकर कहता हूँ कि मैं, हमारी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों से उभरी वित्तीय आवश्यकताओं और राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न वचनबद्धताओं लिए प्रतिबद्ध हूं।

114. मैंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मशती और गुरू गोबिंद सिंह की 350वीं जयंती मनाने के लिए प्रत्येक हेतु, ₹100 करोड़ की आरंभिक राशि भी आवंटित की है।

IX. कर सुधार

115. मैं अब कर सुधारों की ओर आता हूं जो मेरे बजट भाषण के भाग ख में विस्तार से दिए गए हैं।

भाग-ख

अध्यक्ष महोदया,

116. अब मैं अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

117. सरकार राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका के महत्व को स्वीकारती है। जनता से कर के रूप में उगाहे गए प्रत्येक रुपए का, बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने, ग्रामीण पुनरुद्धार और सामाजिक कल्याण के सरकार के प्रयासों में योगदान होता है। समाज से गरीबी और असमानता को समाप्त करने में कराधान सरकार के पास उपलब्ध एक प्रमुख साधन है। यदि हम इस परिप्रेक्ष्य से इस साधन का प्रयोग न करें तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।

इस वर्ष मेरे कर प्रस्तावों में निम्नलिखित नौ श्रेणियों पर मुख्य बल दिया गया है :-

(1) छोटे करदाताओं को राहत

(2) विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय

(3) 'मेक इन इंडिया' में सहायता के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना

(4) पेंशन प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय

(5) सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय

(6) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(7) कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना

(8) कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण

(9) जवाबदेही निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

1. छोटे करदाताओं को राहत

118. 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से, मैं धारा 87क के अंतर्गत कर छूट की अधिकतम सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इस श्रेणी में 2 करोड़ करदाता आते हैं जिन्हें अपनी करदेयता में 3000 रुपए की राहत मिलेगी।

119. जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई मकान नहीं है और जिन्हें आज किसी नियोक्ता से किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता भी नहीं मिलता, उन्हें मकान किराए का भुगतान करने के एवज में फिलहाल उनकी आय से प्रतिवर्ष 24,000 रुपए की कटौती का लाभ दिया जाता है। मैं धारा 80छछ के अंतर्गत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 24,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी।

120. आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के अंतर्गत अनुमानित कराधान स्कीम का लाभ छोटे

और मध्यम उद्यमों अर्थात ऐसे नॉन कारपोरेट व्यवसायों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिनका टर्नओवर या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। वर्तमान में, लगभग 33 लाख छोटे व्यवसायियों को यह लाभ मिल रहा है जिससे वे विस्तृत खाता बहियों के रखरखाव तथा उनकी लेखापरीक्षा कराने के बोझ से मुक्त हैं। मैं इस स्कीम के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बहुत से निर्धारितियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।

121. मैं, अनुमानित कराधान स्कीम को ऐसे व्यवसायियों के संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक हैं, इस अनुमान के साथ कि लाभ सकल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत है।

2. विकास तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपाय

122. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कारपोरेट कर की दर को एक समय-अवधि के दौरान, 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के साथ, विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। बहरहाल, कंपनियों द्वारा विभिन्न छूटों का लाभ उठाए जाने के कारण, उनके कर भुगतान की प्रभावी दर औसतन 24.67 प्रतिशत बैठती है। इन कर छूटों और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की एक योजना आम जनता के बीच रखी गई थी तथा हमें बड़ी संख्या में रचनात्मक सुझाव मिले हैं। इन छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अंतिम योजना अनुबंध में दी गई है। इसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत हैं :

(क) आयकर अधिनियम में उपबंधित त्वरित अवमूल्यन को 1.4.2017 से अधिकतम 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा।

(ख) अनुसंधान कार्य हेतु कटौतियों के लाभ 1.4.2017 से अधिकतम 150 प्रतिशत तक और 1.4.2020 से अधिकतम 100 प्रतिशत तक कर दिए जाएंगे।

(ग) नए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थापित की गई केवल उन्हीं नई यूनिटों को धारा 10कक के लाभ प्राप्त होंगे जो 31.03.2020 से पहले कार्य करना आरंभ कर दें।

(घ) कौशल विकास हेतु धारा 35गगघ के अंतर्गत भारित कटौतियां 1.4.2020 तक जारी रहेंगी।

123. कारपोरेट कर-दर में कटौती को चरणबद्ध रूप में समाप्त किए जा रहे प्रोत्साहनों से मिलने वाले प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के अनुसार निर्धारित किया जाना है। सरकार को कर छूटों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने से होने वाले लाभ क्रमिक रूप में ही प्राप्त होने हैं। अतः पहले चरण में, मैं कारपोरेट आय कर की दरों में निम्नलिखित दो परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं :-

(क) 1.3.2016 को या इसके बाद निगमित होने वाली नई विनिर्माणकारी कंपनियों को 25 प्रतिशत + अधिभार और उपकर की दर से कराधान का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है, यदि वे लाभ संबद्ध या निवेश संबद्ध कटौतियों का दावा नहीं करती तथा निवेश छूट और त्वरित अवमूल्यन का लाभ नहीं उठाती।

(ख)मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे उद्यमों अर्थात ऐसी कंपनियों, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो (मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान) के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट आयकर की दर को घटाकर 29 प्रतिशत + अधिभार और उपकर किया जाए।

124. स्टार्ट-अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं तथा आशा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में वे प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अप्रैल, 2016 से मार्च, 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्टअप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद दी जाए। ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा यदि विनियमित/अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्ट-अप में निवेश किया गया हो जिनमें उनकी अधिसंख्य शेयरधारिता हो।

125. अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है तथा नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। मैं पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

126. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) जो डूबे ऋणों के समाधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एआरसी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास-थ्रू अंतरित किया जाए। न्यास की बजाय निवेशकों के हाथ आई आमदनी पर कर लगाया जाएगा। तथापि, न्यास स्रोत पर कर-कटौती के अध्यधीन होंगे।

127. असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, दीर्घावधिक पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है।

128. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के प्रावधान के संबंध में अपनी आय के 5 प्रतिशत तक कटौती की पात्र होंगी।

129. विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्थान (पीओईएम) के आधार पर रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष आस्थगित रखने का प्रस्ताव है।

130. मैं 1.4.2017 से सामान्य अपवंचन रोधी नियम (जीएएआर) क्रियान्वित करने की हमारी वचनबद्धता को दोहराना चाहूंगा।

131. ओईसीडी और जी-20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति हमारी वचनबद्धता पूरी करने के लिए, वित्त विधेयक, 2016 में, 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश-दर-देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है।

132. मैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध

कराई गई सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

133. मैं ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गई 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गई साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

134. प्रशीतित कन्टेनरों का प्रयोग बढ़ाने के लिए, मैं उन पर बुनियादी सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क घटाकर क्रमशः 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

135. विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर शून्य बुनियादी सीमाशुल्क लगता है। मैं ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

मेक इन इंडिया में सहायता करने के लिए घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देना

136. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क संरचना, हमारी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान हेतु घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी के अनुरूप, मैं कुछ निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों, मध्यवर्तियों और संघटकों तथा कतिपय अन्य वस्तुओं पर सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क दरों में समुचित परिवर्तन करने और प्रक्रियाएं सरल बनाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि लागत घटाई जा सके और सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा उत्पादन, वस्त्र, खनिज ईंधन और खनिज तेल, रसायन और पेट्रो-रसायन, कागज, गत्ते और न्यूजप्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूरी जांच (एमआरओ) तथा जहाजों की मरम्मत आदि जैसे क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाया जा सके। ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध में दिया गया है।

पेंशन-प्राप्त समाज की ओर बढ़ने के उपाय

137. पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं। मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए। मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में, सेवानिवृत्ति के समय निधि से 40 प्रतिशत आहरण को कर-मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

138. अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के मामले में 1.4.2016 के पश्चात किए गए अंशदानों से सृजित निधियों के संबंध में भी, 40 प्रतिशत के कर-मुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा।

139. इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिकी निधि, तीनों मामलों में कर योग्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, हम कर-छूट का लाभ लेने के लिए मान्यताप्राप्त भविष्य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करते हैं।

140. मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिकी सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा

कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओं को सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूं।

141. मैं कुछ मामलों में, एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) पॉलिसियों के अदा किए गए प्रीमियम पर सेवा कर 3.5 प्रतिशत से घटाकर 1.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी करता हूं।

सस्ते आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उपाय

142. प्रधानमंत्री आवास योजना समयबद्ध तरीके से सभी और विशेषकर गरीबों की आवासीय जरूरतों का समाधान करने के लिए सरकार के आश्वासन का साकार रूप है। मकानों का निर्माण रोजगार के प्रचुर अवसर भी सृजित करता है। आवास क्षेत्र में कार्यकलाप बढ़ाने के लिए, मैं जून, 2016 से मार्च, 2019 तक अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोजना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से 100 प्रतिशत कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, इन उपक्रमों पर न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा।

143. 'पहली बार मकान खरीदने वालों' के लिए मैं अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि मकान की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा न हो।

144. आवास निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव, स्थावर संपदा निवेश न्यासों में निवेश करना सुसाध्य बनाना है। मेरा प्रस्ताव है कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशिष्ट शेयरधारिता वाले आईएनवीआईटी की विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्यधीन नहीं होंगे।

145. सरकारी निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव है।

146. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित वंक्रीट मिश्रण के लिए इस समय उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिया जाए।

कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना

147. लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समान रूप से सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी क्यों न हो। इसे करों की निष्पक्षता और प्रगामी प्रकृति को विकृत करने के रूप में देखा जाता है। अपेक्षाकृत उच्च आय वाले व्यक्ति उच्च कर लागत वहन कर सकते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश वितरण कर के अलावा, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं अर्थात व्यष्टियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों को लाभांश की सकल राशि के 10 प्रतिशत की दर से कर देना होगा।

148. मैं, कंपनियों, फर्मों और सहकारी समितियों को छोड़कर, 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

149. मैं दस लाख रुपए से अधिक की लक्ज़री कारों की खरीद पर और दो लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की नकद खरीद पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर संग्रह करने का भी प्रस्ताव करता हूं। संसाधन संपन्न अनुपालक करदाताओं के लिए, इस लेवी से न केवल व्यय किए जाने के समय कर संग्रहण बढ़ेगा, बल्कि यह ऐसा व्यय करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कर प्राधिकारियों को आंकड़े प्रदान करता है, जो कराधार में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। किसानों और अधिसूचित वर्ग के व्यक्तियों को ऐसे प्रपत्र देने का विकल्प प्राप्त होगा जिसके द्वारा स्रोत पर कर संग्रहण प्रभारित नहीं किया जाएगा।

150. 'विकल्पों' के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर .017 प्रतिशत से बढ़ाकर .05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

151. भारत से विदेशी-ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर कर लगाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि अनिवासी को भुगतान करने वाला व्यक्ति, जिसका स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है और वर्ष में कुल 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन विज्ञापन हेतु प्रतिफल के रूप में देता है, वह समकरण लेवी के रूप में भुगतान की गई सकल राशि के 6 प्रतिशत की दर से कर रोक सकेगा। यह लेवी केवल बी2बी लेनदेनों के लिए लागू होगी।

152. मैं, सभी कर-योग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे हुई प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त होगा। यह उपकर 1 जून, 2016 से लागू होगा। इस उपकर का निविष्टि कर क्रेडिट इस उपकर के भुगतान के लिए उपलब्ध होगा।

153. भारतीय शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति एक चिंता का सबब है। मैं, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की छोटी कारों पर 1 प्रतिशत, कतिपय क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत और अधिक इंजन क्षमता वाले अन्य वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

154. मैं, आभूषण की वस्तुओं (हीरा और बेशकीमती पत्थरों से जड़े हुए आभूषणों से इतर, चांदी के आभूषण को छोड़कर) पर 'निविष्टि कर-क्रेडिट के बगैर 1 प्रतिशत या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 12.5 प्रतिशत' उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं, जिसपर अधिक छूट और अर्हता सीमा क्रमशः 6 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए होगी। नए करदाताओं को किसी कठिनाई के बिना इस लेवी का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

155. मैं, 1000 रुपए के खुदरा बिक्री मूल्य और इससे अधिक के ब्रांडेड तैयार परिधानों और कपड़े से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को 'निविष्टि कर-क्रेडिट के बगैर 'शून्य' या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 6 प्रतिशत/12.5 प्रतिशत' से बदलकर 'निविष्टि कर-क्रेडिट के बगैर 2 प्रतिशत या निविष्टि कर-क्रेडिट के साथ 12.5 प्रतिशत' करने का प्रस्ताव करता हूं।

156. मैं कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाए गए 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' को 'स्वच्छ पर्यावरण उपकर' का नया नाम देने और इसके साथ ही साथ इसकी दर 200 रुपए प्रतिटन से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिटन करने का प्रस्ताव करता हूं।

157. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मैं, बीड़ी को छोड़कर विभिन्न तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

158. मैं वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने और बाद में सेवा को हस्तांतरित करने के अधिकार की घोषणा सरकार द्वारा की जा सके और जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पेस्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार का समनुदेशन ऐसी सेवा है, जिसपर सेवा कर लगाया जा सकता है और यह अमूर्त वस्तुओं की बिक्री नहीं है।

कराधान के मामले में मुकदमेबाजी कम करना तथा निश्चितता का माहौल बनाना

159. हम मुकदमेबाजी से दूर रहने के दृष्टिकोण से कम करों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार से, जहां अनुपालक करदाता विभाग से सहायक संपर्क की आशा कर सकते हैं, वहीं कर वंचन से सख्ती से निपटा जाएगा। कर वंचन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ी है क्योंकि सूचना प्राप्त करने की क्षमता और ऐसी सूचना का प्रक्रियान्वयन करने के लिए प्रौद्योगिकी चालित विश्लेषणात्मक साधनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है । मैं, पूर्ववर्ती कर अनुपालन न करने वालों को कर- अनुपालकों की श्रेणी में शामिल होने का सुअवसर देना चाहता हूं।

160. मैं, घरेलू करदाताओं हेतु सीमित अवधि अनुपालना विंडो का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे अघोषित आय या किसी आस्ति के रूप में प्रस्तुत आय की घोषणा करने और 30 प्रतिशत की दर से कर, एवं 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा 7.5 प्रतिशत की दर से शास्ति, जो अघोषित आय का कुल 45 प्रतिशत बैठता है, का भुगतान करके अपने पहले के कर अतिक्रमण का निपटान कर लें। आयकर अधिनियम अथवा संपत्ति कर अधिनियम के तहत इन विवरणों में घोषित आय के संबंध में कोई छानबीन अथवा जांच नहीं होगी तथा घोषणाकर्ता अभियोजन से मुक्त होगा। कतिपय शर्तों के अधीन बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 से भी छूट देने का प्रस्ताव है। अघोषित आय पर 7.5 प्रतिशत की दर पर लगाए गए अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और इसे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी 1 जून से 30 सितम्बर, 2016 तक चलने वाली इस आय प्रकटन योजना के तहत, घोषणा के दो माह के भीतर देय राशि अदा करने के विकल्प के साथ नई विंडो खोलने की योजना है।

161. हमारी सरकार अर्थव्यवस्था से काला धन निकालने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। छिपाई गई आय को एक बार घोषित करने का एक अवसर देकर, हम फिर काला धन रखने वाले लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने समस्त संसाधन लगा देंगे।

162. मुकदमेबाजी किसी करानुकूल प्रणाली के लिए अनिष्टकारी होती है और करदाताओं की अनुपालन लागत और सरकार की प्रशासनिक लागत बढ़ाने के अलावा, अविश्वास का माहौल

सृजित करती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कर संबंधी लगभग 3 लाख मामले लंबित पड़े हैं जिनकी विवादित राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए है। इनकी संख्या कम करने के उद्देश्य से, मैं एक नई विवाद निपटान स्कीम (डीआरएस) लाने का प्रस्ताव करता हूं।

163. कोई करदाता, जिसकी आज की तारीख में आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील लंबित है, वह निर्धारण की तिथि तक विवादित कर तथा ब्याज का भुगतान करके अपने मामले का निपटान कर सकता है। 10 लाख रुपए तक के विवादित कर के मामलों में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा। 10 लाख रुपए से अधिक के विवादित कर के मामलों पर न्यूनतम आरोपणीय अर्थदंड का केवल 25 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा। अर्थदंड के आदेश के विरूद्ध किसी भी लंबित अपील को न्यूनतम आरोपणीय अर्थदंड का 25 प्रतिशत का भुगतान करके निपटाया जा सकता है। विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके साथ-साथ कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित करने का प्रस्ताव है।

164. मैंने, अपने जुलाई, 2014 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार पूर्व-प्रभाव से नई करदेयता सृजित नहीं करेगी। मैंने यह भी आशा प्रकट की थी कि वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए कतिपय पूर्व-प्रभावी संशोधनों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य कानूनी मंचों में लंबित मामलों का शीघ्र ही तर्कसंगत निपटान किया जाएगा। मैं यह भी दोहराना चाहता हूं कि हम एक स्थिर और सरल कर-प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य में ऐसे संशोधनों का सहारा नहीं लेंगे। मैंने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की थी, जो ऐसे किसी भी नए मामले पर विचार करेगी जहां कर निर्धारक अधिकारी पूर्व-प्रभावी संशोधन का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में आय का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव रखता है। कर वंचन की किसी आशंका को समाप्त करने के लिए, अब इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव होंगे और इसमें अध्यक्ष, सीबीडीटी और बाहर के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह समिति आश्वासनों के कारगर क्रियान्वयन पर नजर रखेगी।

165. पूर्व-प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे विगत मामलों को एक अवसर प्रदान करने के लिए, मैं उनके लिए विवाद निपटान की एक एकबारगी स्कीम का प्रस्ताव करता हूं जिसमें, बशर्ते कि वे बीआईपीए सहित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित मामले या किसी माध्यस्थम कार्यवाही को वापस लेने की सहमति व्यक्त करते हों, वे केवल कर बकायों का भुगतान करके अपना मामला निपटा सकते हैं। इस मामले में ब्याज और आर्थिक दंड माफ किया जाएगा।

166 उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा दंड लगाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या पर कई निर्णय देने के बावजूद, आय छिपाने के लिए भारी अर्थदंड लगाने के फलस्वरूप, विगत वर्षों से विवादों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है हैं। इस समय आयकर अधिकारी को अपवंचित माने गए कर पर 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत की दर से दंड लगाने का विवेकाधिकार है। मैं आर्थिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के साथ-साथ दंड की मात्रा का निर्धारण करके संपूर्ण दंड प्रणाली को संशोधित करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। अब आय को कम दर्शाने के मामले में, कर के 50 प्रतिशत और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में कर के 200 प्रतिशत की अर्थदंड

दर होगी। विशेष स्थितियों में, जहां कर अदा किया गया हो और अपील दायर न की गई हो, में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है।

167. दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 14क के संदर्भ में छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अस्वीकृति का मात्रा निर्धारण। मैं, इस प्रकार के मात्रा निर्धारण को अभिशासित करने वाले नियम 8घ में दिए गए फार्मूले को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम में संशोधन किया जा रहा है कि यह अस्वीकृति, छूट प्राप्त आय का अर्जन करने वाले निवेशों के औसत मासिक मूल्य के 1 प्रतिशत तक सीमित हो, लेकिन यह दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक न हो।

168. करदाता अनुकूल एक-दूसरे उपाय के रूप में, मैं ब्याज और अर्थदंड की माफी चाहने वाले करदाताओं की याचिकाओं का निपटान करने हेतु एक वर्ष की समय-सीमा देने का प्रस्ताव करता हूं।

169. आयकर विभाग भी अनुदेश जारी कर रहा है जिसमें निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जब आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित हो, तो वह निर्धारिती द्वारा विवादित मांग के 15 प्रतिशत का भुगतान किए जाने पर मांग के स्थगन को मंजूर करें। विचलन के मामले में, निर्धारण अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होंगे। करदाता को भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का विकल्प होगा, यदि वह अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश की शर्तों से सहमत न हो।

170. मामलों का बैकलॉग समाप्त करने के लिए, हम सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण (सेस्टेट) के 11 नए पीठ सृजित कर रहे हैं।

171. आईटीएटी की एकल सदस्य पीठ द्वारा किसी अपील के निर्णय के लिए मौद्रिक सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।

172. मैं, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके, अनुपालन भार और उससे जुड़ी मुकदमेबाजी, खासकर छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों/सेवाओं के बीच क्रेडिट विभाजन से संबंधित मुकदमेबाज़ी को कम किया जा सके। इस नियमावली में संशोधन से बहु-विनिर्माण इकाइयों वाले विनिर्माता निविष्टियों के लिए एक सामान्य भांडागार को बनाए रखने और क्रेडिट युक्त निविष्टियों को अलग-अलग विनिर्माण इकाइयों को वितरित करने में समर्थ हो सकेंगे।

कराधान का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण

173. सरकार ने कर प्रशासन सुधार समिति की अनेक अनुशंसाएं पहले ही स्वीकार कर ली हैं और मैं इस बजट में न्यायमूर्ति ईश्वर समिति की अनेक अनुशंसाएं स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं।

174. करों की बहुलता, उससे जुड़े प्रपाती प्रभाव में कमी लाने और संग्रहण की लागत को कम करने के लिए, मैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए 13 उपकरों, जिनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रहण

50 करोड़ रुपए से कम है,को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

175. उन छोटे करदाताओं, जिनकी निधियां चालू स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान के कारण फंस जाती हैं, के नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए, मैं अनुबंध में दिए गए आयकर संबंधी टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

176. बिना स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले अनिवासियों के लिए फिलहाल टीडीएस दर अधिक है। यह प्रावधान करने के लिए कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उच्चतर दर लागू नहीं होगी, संगत प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

177. अब तक, किसी सेवा कर निर्धारिती के लिए ही उपलब्ध विवरणी के संशोधन की सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों के लिए भी दी जा रही है।

178. मैं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं, उधारों और अग्रिमों के जरिए प्रदान की गई गैर-कर योग्य सेवाओं के संबंध में, निविष्टि कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं।

179. हमारी सरकार ने कार्गो निर्गमन के समय और एक्जिम व्यापार की लेन-देन संबंधी लागतें कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मैं, अच्छे रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमाशुल्क की आस्थगित अदायगी का प्रावधान करने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

180. बजट 2014-15 में, मैंने भारतीय सीमा-शुल्क एकल खिड़की परियोजना को कार्यान्वित करने के आशय की घोषणा की थी। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है और अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ से इसे बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

181. अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा-शुल्क बैगेज नियमों को सरल बनाया जा रहा है जिससे निःशुल्क बैगेज अनुमति में बढ़ोतरी की जा सके। बैगेज घोषणा दाखिल करना केवल उन्हीं यात्रियों से अपेक्षित होगा जो शुल्क योग्य सामान लेकर चलेंगे।

जवाबदेही निश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

182. प्रौद्योगिकी मानवता के लिए वरदान है। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन को अपेक्षाकृत आसान बनाने, और कर-वंचन करने वालों का पता लगाने के लिए भी आंकड़ा संग्रहण हेतु, कराधान विभाग में बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं।

183. करदाताओं द्वारा आयकर कार्यालयों में जाने की जरूरत को समाप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 में ई-निर्धारण की एक प्रायोगिक स्कीम शुरू की गई थी। मैं आने वाले वर्षों में 7 बड़े नगरों में सभी निर्धारितियों को ई-निर्धारण के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। जांच के लिए चुने गए मामलों की संवीक्षा ई-माहौल में की जाएगी जिससे जब तक निर्धारिती स्वयं सुनवाई नहीं चाहता या दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से निर्धारण अधिकारी पक्षकार की सुनवाई करना

चाहता है, तब तक निर्धारिती से आयकर विभाग का सीधा संपर्क नहीं होगा।

184. आयकर विभाग (आईटीडी) खासकर छोटे करदाताओं की अनुपालन लागत को कम करने के उद्देश्य से 'ई-सहयोग' नामक प्रायोगिक पहल का पूर्णतः विस्तार करेगा। श्ई-सहयोग' प्रायोगिक परियोजना का लक्ष्य आयकर दाताओं के आयकर कार्यालय में आए बिना आयकर विवरणियों में आई असमानताओं का निपटान करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र उपलब्ध कराना है।

185. मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि अपीलीय आदेश को प्रभावी करने में नब्बे दिन से अधिक का समय लगता है तो ऐसे मामले में सरकार 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य दर की अपेक्षा 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करेगी। अतः जो अधिकारी इसमें विलंब करेंगे, वे सरकार के इस नुकसान के लिए जवाबदेह होंगे।

186. मैं सीमाशुल्क की बाध्यता वाले भांडागारों हेतु भौतिक नियंत्रण के स्थान पर रिकार्ड आधारित नियंत्रण को लाने का प्रावधान करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूं, जो कि उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा समर्थित हो।

187. अध्यक्ष महोदया, प्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1,060 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी तथा अप्रत्यक्ष कर संबंधी मेरे प्रस्तावों से 20,670 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है। इस प्रकार, सभी कर प्रस्तावों का निवल प्रभाव 19,610 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ के रूप में सामने आएगा।

निष्कर्ष

अध्यक्ष महोदया,

188. यह बजट वैश्विक और घरेलू स्तर पर प्रतिकूल स्थितियों के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। हम इन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। मैंने किसानों, गरीबों और कमजोर व्यक्तियों के लाभ के लिए हमारी सरकार की 'ट्रांस्फार्म इंडिया' के स्वप्न को रेखांकित किया है।

189. अध्यक्ष महोदया, कहा जाता है कि "**चैंपियन का निर्माण उनके भीतर बहुत गहरे में छिपी आकांक्षा, स्वप्न और कल्पना से होता है.**" हमारी इच्छा है कि प्रत्येक भारतीय, विशेषतया किसानों गरीबों और कमजोर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा दी जाए, हमारा स्वप्न है; अधिक समृद्ध भारत को देखने का; और सपना है "**भारत को विकसित देखने का**''

190. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

भाग क का अनुबंध I

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संबंधित नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन/सुधार

(i) बीमा और पेंशन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग में भारतीय प्रबंध पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अध्यधीन 49 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी और नियंत्रण का सत्यापन विनियामकों द्वारा किया जाना है।

(ii) आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को क्षेत्रीय उच्चतम सीमाओं के अध्यधीन एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में प्रत्येक खंड के 100 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति दी जाएगी।

(iii) भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में विदेशी निकायों हेतु निवेश सीमा को घरेलू संस्थानों के बराबर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। इससे भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाने और वैश्विक बाजार रीतियों की गति में तीव्रता आएगी।

(iv) एफपीआई द्वारा बैंकों को छोड़कर और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश की मौजूदा 24 प्रतिशत की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी जाएगी ताकि एफपीआई निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की जरूरत समाप्त की जा सके।

(v) पात्र एफडीआई लिखतों के समूह का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें कतिपय शर्तों के अध्यधीन हाइब्रिड लिखतों को शामिल किया जा सके।

(vi) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा विनियमित किए जा रहे अन्य कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के तहत 18 विनिर्दिष्ट एनबीएफसी कार्यकलाप से अतिरिक्त कार्यकलाप में भी एफडीआई की अनुमति दी जाएगी।

(vii) मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और विकसित देशों की परिपाटियों का अनुपालन करने की दृष्टि से विदेशी निवेशकों को कतिपय शर्तों के अधीन रेज़िडेंसी दर्जा दिया जाएगा। इस समय इन निवेशकों को एक बार में केवल 5 वर्ष तक का बिजनेस वीज़ा दिया जाता है।

(viii) भारत द्वारा अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधियों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मैं केंद्र राज्य निवेश करार की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे इन संधियों के तहत राज्य सरकारों के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इन करारों पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को विदेशी निवेशकों द्वारा अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाएगा।

इन सभी निर्णयों से विदेशी निवेशकों और उनके घरेलू प्राप्तकर्ताओं के लिए कारोबार करने में आसानी होगी।

भाग क का अनुबंध II

कारपोरेट बांड बाजार की गहनता के लिए उपाय

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए अभ्यर्पित निधि की स्थापना करेगा। यह निधि अवसंरचना कंपनियों द्वारा निर्गमित ऋण रेटिंग को बढ़ाने और दीर्घावधिक निवेशकों से निवेश को सुकर बनाएगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों के बजाय बाजार तंत्र के जरिए बड़े उधारकर्ताओं की वित्तपोषण संबंधी जरुरतों के एक निश्चित हिस्से तक उनकी पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(ग) प्रतिभूतिकरण एसपीवी द्वारा निर्गमित असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों और पासथ्रू प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश समूह का विस्तार किया जाएगा।

(घ) कारपोरेट बांडों में निजी नियोजन बाजार के लिए एक समर्थकारी पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने हेतु, सेबी द्वारा प्रारम्भिक ऋण पेशकश के लिए एक इलेक्ट्रानिक नीलामी प्लेटफार्म विकसित किया जाएगा।

(ङ) प्रारम्भिक और द्वितीयक दोनों बाजारों को शामिल करके कारपोरेट बांडों के लिए एक पूर्ण सूचना भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा संयुक्त रुप से विकसित किया जाएगा।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कारपोरेट बांडों में रेपो बाजार के लिए इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म के लिए एक ढांचा विकसित किया जाएगा।

भाग क का अनुबंध संख्या III(क)

महत्वपूर्ण मंत्रालयों, क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए आवंटन

करोड़ रुपए

मंत्रालय/विभाग	वास्तविक 14-15	सं.अ. 15-16	ब.अ. 16-17
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	25917	22958	44485
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	12091	10907	14010
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	32154	34957	39533
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2728	1961	5411
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	68875	67586	72394
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2767	3021	3465
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3089	3736	3827
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	515	262	5036
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	33048	47107	57976
ग्रामीण विकास मंत्रालय	69817	79279	87765
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	0	1038	1804
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	5784	6580	7350
शहरी विकास मंत्रालय	13254	18340	24523
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	5480	7032	6201
महिला और बाल विकास मंत्रालय	18539	17352	17408

क्षेत्र जोड़	वास्तविक 2014-15	सं.अ. 2015-16	ब.अ. 2016-17	आईईबीआर	जोड़ 2016-17
कृषि और सिंचाई	31497	25988	47912	6300	54212.33
शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्र	136431	139619	151581	...	...
ग्रामीण विकास और पेयजल	81908	90185	101775	...	...
अवसंरचना और ऊर्जा	185139	180610	221246	25000	246246.39

सभी मंत्रालयों द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटन

	वास्तविक 14-15	सं.अ. 2015-16	ब.अ. 2016-17
महिला कल्याण स्कीमें	...	81249	90625
बाल कल्याण के लिए आवंटन	...	64635	65758
अनुसूचित जाति उप-योजना	19921	20963	24005
अनुसूचित जनजाति उप-योजना	30035	34675	38833

भाग क का अनुबंध संख्या III(ख)

महत्वपूर्ण स्कीमों का आवंटन

करोड़ रुपए

		ब.अ. 2016-17
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	38500
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9500
3	जनजातीय उप योजना के अंतर्गत स्कीमें-सभी मंत्रालयों से	24005
4	अनुसूचित जातियों की उप योजना के तहत स्कीमें-सभी मंत्रालयों से	38833
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन-सभी मंत्रालयों से	33097
6	अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम	1245
क	अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	*1125*
ख	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा स्कीम	*120*
7	हरित क्रांति	12980
क	कृषोन्नति योजना	*7580*
ख	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	*5400*
8	श्वेत क्रांति	1273
9	नील क्रांति	575
10	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	5717
क	हर खेत को पानी	*500*
ख	जल संसाधन मंत्रालय में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्कीमें	*1377*
ग	प्रति बूंद अधिक फसल	*2340*
घ	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	*1500*
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000
12	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5000
13	स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए)	11300
14	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	20037
15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आरएसएसवाई)	1500
16	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनईएम)	28010
जिसमें से	एनईएमः सर्वशिक्षा अभियान	*22500*

17	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9700
18	एकीकृत बाल विकास स्कीम (अम्ब्रेला आईसीडीएस)	16120
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)	20075
20	शहरी नवीकरण मिशन (अमृत तथा 100 स्मार्ट शहर विकसित करने का मिशन)	7296
21	मेक इन इंडियाः निवेश संवर्द्धन हेतु स्कीम और संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम	1804
22	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा	1448
23	डिजिटल भारत कार्यक्रम और ई-लर्निंग, ई-पंचायत, भू रिकार्डो का आधुनिकीकरण	2059
24	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल	900
25	पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें	795
26	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि	4000
27	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा को इक्विटी पूंजी और क्रेडिट गारंटी निधि	2400
28	स्टार्ट अप एंड स्टैंड अप	1100
29	रोजगार सृजन हेतु स्कीमें	1155
30	निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन हेतु स्कीम	2000
31	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम	8500
32	सागरमाला	450
33	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1771
34	मैट्रो परियोजनाएं	10000
35	नमामि गंगे-राष्ट्रीय गंगा योजना	2250
36	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	397
37	खेलो इंडिया	216
38	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	25000

इस अनुबंध में 38 महत्वपूर्ण स्कीमों के अंतर्गत किए गए कुल आवंटन (आयोजना और आयोजना-भिन्न) दिए गए हैं। स्कीमों का यौक्तिकीकरण संसाधनों के अति विरल वितरण से बचने के लिए किया गया था। केवल ब.अ. 2016-17 के आबंटनों का ही विवरण दिया गया है क्योंकि अभी हाल में युक्तियुक्त की गई स्कीमों और पूर्ववर्ती आमेलित घटक स्कीमों के बीच एकेक अनुरूपता स्थापित करना तत्काल संभव नहीं है।

स्रोत : व्यय बजट 2016-17 का खंड 1 और 2

भाग क का अनुबंध संख्या III(ग)

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरित संसाधन

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या		वास्तविक 2014-15	सं.अ. 2015-16	ब.अ. 2016-17
1	**करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण**	**337808**	**506193**	**570337**
2	**आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण**	**77198**	**108312**	**118437**
	अनुदान	77125	108233	118356
	ऋण	73	79	81
	राज्य सरकारें	*76286*	*105353*	*115655*
	संघ राज्य क्षेत्र	*912*	*2959*	*2782*
3	**राज्य आयोजना/संघ राज्य क्षेत्र आयोजना को केंद्रीय सहायता**	**270829**	**216108**	**241900**
	अनुदान	258890	203608	229400
	ऋण	11939	12500	12500
	राज्य सरकारें	*264725*	*208587*	*234366*
	संघ राज्य क्षेत्र	*6104*	*7521*	*7534*
4	**जोड़ (अनुदान और ऋण)**	**348027**	**324420**	**360337**
	अनुदान	336015	311841	347756
	ऋण	12012	12579	12581
4	**कुल सहायता**	**685835**	**830613**	**930674**
	राज्य सरकारें	*678819*	*820133*	*920358*
	संघ राज्य क्षेत्र	*7016*	*10480*	*10316*
5	**घटाइए-ऋणों और अग्रिमों की वसूली**	**10658**	**9093**	**9473**
	राज्य सरकारें	*10582*	*8649*	*9028*
	संघ राज्य क्षेत्र	*76*	*444*	*445*
6	**राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित निवल संसाधन (1+4-5)**	**675177**	**821520**	**921201**
	राज्य सरकारें	*668237*	*811484*	*911330*
	संघ राज्य क्षेत्र	*6940*	*10036*	*9871*
	वास्तविक 14-15 की तुलना में सं.अ. 15-16 में वृद्धि	...	146343	...
	सं.अ. 15-16 की तुलना में ब.अ. 16-17 में वृद्धि	...	...	99681
	वास्तविक 14-15 की तुलना में ब.अ. 16-17 में वृद्धि	...	...	246024

बजट भाषण के भाग - ख का अनुबंध

प्रत्यक्ष कर

1. वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

1.1 यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सॉवरन स्वर्ण बांड के व्यष्टि द्वारा मोचन पर पूंजी लाभ कर नहीं लगाया जाएगा। यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है कि सॉवरन स्वर्ण बांड के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी लाभ सूचकांकन लाभों के लिए अर्हक होगा।

1.2 यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अनिवासी द्वारा अभिदानकृत भारतीय कंपनी के रूपया मूल्यवर्गित बांड के मोचन के समय विदेशी करेंसी की तुलना में रूपए के मूल्यवर्धन के कारण प्राप्त किसी लाभ को पूंजी लाभ कर से छूट दी जाएगी।

1.3 यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम की समेकित योजना में यूनिटों के किसी अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट दी जाएगी।

1.4 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्वर्ण मौद्रीकरण स्कीम, 2015 के तहत जारी जमा प्रमाणपत्रों पर अर्जित ब्याज और उनसे प्राप्त होने वाले पूंजी लाभ पर कर की छूट दी जाएगी।

1.5 आयकर अधिनियम की धारा 9क के तहत अपतटीय निधियों हेतु विशेष कराधान क्षेत्र की शर्तों को आशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित देश में पंजीकृत या स्थापित निधि भी उक्त क्षेत्र के लिए अर्हक हो सके। यह भी प्रस्ताव है कि निधि द्वारा नियंत्रण और प्रबंधन या कोई व्यवसाय न करने की शर्त केवल भारत में क्रियाकलापों के लिए लागू होगी न कि भारत से बाहर।

1.6 कारगर प्रबंधन के स्थान के आधार पर विदेशी कंपनी की रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष के लिए आस्थगित करने का प्रस्ताव है। यह अब 1.4.2017 से लागू होगा। यदि विदेशी कंपनी पहली बार भारत में निवासी बनती है तो आय के निर्धारण और अन्य उपबंधों की प्रयोज्यता के लिए अधिनियम के उपबंधों में अनुकूलन, आशोधन और छूट देने के लिए आवश्यक उपबंध करने का प्रस्ताव है।

1.7 ए.पी. शाह समिति की सिफारिशों और कैसल्टन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 115जख के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) 01.04.2001 से विदेशी कंपनी के लिए लागू नहीं होगा, यदि विदेशी कंपनी उपयुक्त दोहरा कराधान अपवंचन करार के अंतर्गत स्थायी प्रतिष्ठान न हो या भारत में व्यवसाय का स्थान न हो।

1.8 भारत में अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र स्थापित करना सुसाध्य बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित कर लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव हैः-

- ❖ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित कंपनियों को लाभांश वितरण कर नहीं देना होगा।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित यूनिटों से नौ प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रभारित किया जाएगा।

- इक्विटी शेयर की बिक्री के विदेशी मुद्रा में लेन-देन या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी अनुकूल फंडों की यूनिटों पर प्रतिभूति लेनदेन कर नहीं देना होगा। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी दीर्घावधिक पूंजी आस्ति के हस्तांतरण से प्राप्त लाभ को कर से छूट दी जाएगी।
- अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित मान्यता प्राप्त संघ पर की जाने वाली वस्तु वयुत्पन्नों की बिक्री का लेनदेन विदेशी मुद्रा में होता है तो इसके लिए वस्तु लेनदेन कर नहीं देना होगा।

1.9 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी यदि सरकार द्वारा निर्धारित विशेष प्रयोजनों के लिए स्थापित निधि के कार्पस में सीधे जमा की जाती है तो इसे ऐसी निधि की आय नहीं माना जाएगा।

1.10 प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 के तहत "प्रतिभूतियों" की परिभाषा के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होने के नाते दीर्घावधिक आस्ति के अंतरण से होने वाले पूंजी लाभ पर दस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

1.11 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि कंपनी के अविलय या आमेलित करने के परिणामस्वरूप व्यष्टि या एचयूएफ द्वारा शेयरों की अधिप्राप्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii) के तहत कर नहीं लगेगा।

2. पेंशन क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने के उपाय

2.1 मान्यताप्राप्त भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिवर्षिता निधि के लिए एक समान कर उपाय करने का प्रस्ताव है। तद्नुसार निम्नलिखित का प्रस्ताव हैः-

- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता द्वारा वार्षिक अंशदान 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपए करने का प्रस्ताव है।
- मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा वार्षिक अंशदान हेतु अधिकतम मौद्रिक सीमा 1.5 लाख रूपए करने का प्रस्ताव है।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर आयकर अधिनियम की धारा 80गगध में उल्लिखित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाता बंद होते समय कर्मचारी के नामित द्वारा प्राप्त किसी राशि को छूट देने का प्रस्ताव है।
- मान्यताप्राप्त भविष्य निधि या राष्ट्रीय पेशन प्रणाली में अधिवर्षिता निधि से एक बार सुवाह्यता हेतु छूट देने का प्रस्ताव है।
- यह प्रस्ताव है कि नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट से कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन धन के 40% तक की राशि को कर से छूट दी जाएगी।
- यह भी प्रस्ताव है कि मान्यताप्राप्त भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के तहत छूट 01.04.2016 को या इसके बाद ऐसी निधियों में किए गए अंशदान में से प्राप्त होने वाली संचित राशि का 40% तक सीमित होगी। तथापि, यदि 15,000 रूपए या इससे कम मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेता है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

3. आवास और स्थावर सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपाय

3.1 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि स्वयं रहने के लिए मकान सम्पत्ति की खरीद या निर्माण हेतु उधार ली गई पूंजी पर भुगतान योग्य ब्याज की कटौती के लिए समय सीमा मौजूदा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की जाएगी।

3.2 मकान सम्पति से आय की संगणना करते समय वसूल न किए गए किराए के कारण प्राप्त राशि के लिए 30% मानक कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

3.3 अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की राशि निर्धारित करने के करार की तारीख न कि पंजीकरण की तारीख पर पूंजी लाभ की संगणना के प्रयोजन से विचार किया जाएगा, यदि ऐसे करार के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के खरीददार द्वारा नकद को छोड़कर किसी अन्य प्रविधि के जरिए किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

4. चरणबद्ध तरीके से कटौतियां समाप्त करने के उपाय

4.1 आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध निम्नलिखित कटौतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव हैः-

(i) **आयकर अधिनियम की धारा 10कक :सेज में स्थापित यूनिटों के लिए कटौती** विनिर्माण के क्रियाकलाप आरंभ होने या किसी वस्तु या जिन्स के उत्पादन या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए उक्त धारा के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने हेतु 31.03.2020 की समापन तारीख की व्यवस्था करने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 10कक में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(ii) **अवमूल्यन**

01.4.2017 से आस्तियों के संगत खण्ड में आने वाली सभी आस्तियों (चाहे नई हो या पुरानी) के लिए आयकर अधिनियम के तहत अवमूल्यन की उच्चतम दर 40% तक सीमित करने के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(iii) **आयकर अधिनियम की धारा 35 : वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 35 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वित्त वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 से धारा 35(1)(ii), 35(2कक) और 35(2कख) के अंतर्गत भारित कटौती कम करके 150% और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद कटौती 100% तक सीमित की जाएगी। यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 35(1) (iiक) और (iii) के तहत कटौती 01.04.2017 से 125% से कम करके 100% की जाएगी।

(iv) **आयकर अधिनियम की धारा 35 कघ : विनिर्दिष्ट व्यवसाय के लिए निवेश सहबद्ध कटौती**

आय-कर अधिनियम की धारा 35 कघ में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि शीतागार श्रृंखला सुविधा, कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए भण्डागार सुविधा,

किफायती आवास परियोजना, उर्वरक का उत्पादन और प्रचालनात्मक अस्पतालों के मामले में 01.04.2017 से कटौती 150% से कम करके 100% की जा सके।

(v) **आयकर अधिनियम की धारा 35 कग : सामाजिक परियोजनाओं पर व्यय की कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 35 कग में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उक्त धारा के तहत वित्त वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) से कोई कटौती उपलब्ध न हो।

(vi) **आयकर अधिनियम की धारा 35 गगग : कृषि विस्तार परियोजनाओं पर व्यय की कटौती**

वित्त वर्ष 2017-18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) से कटौती को 100% पर सीमित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 गगग में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(vii) **आयकर अधिनियम की धारा 35 गगघ : कौशल विकास परियोजना पर किए गए व्यय पर कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 35 गगघ में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि 150 प्रतिशत की भारित कटौती वित्त वर्ष 2019-20 (निर्धारण वर्ष 2020-21) तक उपलब्ध रहे। यद्यपि, उक्त धारा के अंतर्गत कटौती वित्त वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) से 100 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

(viii) **आयकर अधिनियम की धारा 35 झक : अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 80 झक में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे उस उद्यम को कटौती उपलब्ध नहीं होगी जो 1 अप्रैल 2017 को अथवा उसके पश्चात् किसी अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन और रखरखाव शुरू करेगा। यह भी प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके पश्चात् शुरू की गई किसी अवसंरचना सुविधा का विकास, प्रचालन और रखरखाव आयकर अधिनियम की धारा 35 कघ के अंतर्गत निवेश से संबंधित कटौती हेतु पात्र होगा।

(ix) **आयकर अधिनियम की धारा 80 झकख : विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 80 झकख में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इस धारा के अंतर्गत कोई कटौती उपलब्ध न हो, जहां विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके बाद शुरू हुआ हो।

(x) **आयकर अधिनियम की धारा 80 झख : खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु कटौती**

आयकर अधिनियम की धारा 80-झख9 (ii), (iv) और (v) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि खनिज तेल अथवा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगे उद्यम को कोई कटौती उपलब्ध न हो, यदि उत्पादन की शुरूआत 1 अप्रैल, 2017 को अथवा उसके बाद की गई हो।

5. टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय

वर्तमान धारा	शीर्ष	मौजूदा प्रारम्भिक सीमा (रु)	प्रस्तावित प्रारम्भिक सीमा (रू)
192क	ईपीएफ में किसी कर्मचारी को देय संचित शेष का भुगतान	30,000	50,000
194खख	घुड़दौड़ में पुरस्कार	5,000	10,000
194ग	संविदाकारों को भुगतान	कुल वार्षिक सीमा 75,000	कुल वार्षिक सीमा 1,00,000
194ठक	कतिपय अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का भुगतान	2,00,000	2,50,000
194घ	बीमे का कमीशन	20,000	15,000
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	1,000	15,000
194ज	कमीशन अथवा ब्रोकरेज	5,000	15,000

वर्तमान धारा	शीर्ष	टीडीएस की मौजूदा दर (प्रतिशत)	टीडीएस की प्रस्तावित दर (प्रतिशत)
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान	2%	1%
194ड.ड.	एनएसएस जमाओं के संबंध में भुगतान	20%	10%
194घ	बीमा कमीशन	10%	5%
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन	10%	5%
194ज	कमीशन अथवा ब्रोकरेज	10%	5%
194त	यूनिटों के संबंध में आय	01.06.2016 से लागू नहीं होगा	
194थ	पूंजी आस्ति के अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति का भुगतान	01.06.2016 से लागू नहीं होगा	

5.2 आयकर अधिनियम की धारा 206 कक को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि निर्धारित शर्त के अध्यधीन पैन कार्ड धारक अनिवासी भारतीयों के मामले में टीडीएस की कटौती उच्चर दर पर नहीं की जाएगी।

5.3 श्रेणी I और II की वैकल्पिक निवेश निधियों के वर्गीकरण के संबंध में कर प्रयोजनों को रोकने के लिए प्रयोज्य की जा रही प्रवृत्त दर की अनुमति देकर अनिवासी भारतीय निवेशकों को डीटीएए का लाभ देने का प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि निवेशक कर की बहुत कम कटौती अथवा शून्य कटौती प्रमाणपत्र की मांग कर सकें।

5.4 प्रतिभूतिकरण न्यास और उसके निवेशकों की कराधान प्रणाली को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि प्रतिभूतिकरण न्यास और कराधान आय का पूर्ण पासथ्रू निवेशक के हाथों में इसी प्रकार और इसी सीमा तक दिया जाए जैसा कि कर लगाया गया होता, यदि निवेशक ने विचाराधीन निवेश न्यास के बजाय प्रत्यक्ष रूप से किया होता। यह भी प्रस्ताव है कि प्रतिभूतिकरण न्यास की आय को छूट प्राप्त होगी और यह कि प्रतिभूतिकरण न्यास स्रोत पर कर कटौती करेगा।

5.5 यह प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि स्वयं प्रमाणीकरण पर किराया भुगतानों पर कर कटौती नहीं की जाएगी, यदि करदाता की आय कर योग्य अधिकतम राशि से अधिक न हो।

6. आर्थिक विकास बढ़ाने के उपाय

6.1 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि विदेशी कंपनी के मामले में, भारत में कच्चे तेल का भंडार करना कारोबारी संबंध नहीं होगा तथा कुछ शर्तें पूरी करने पर, कच्चे तेल के भंडारण और बिक्री से होने वाली आय भारत में कराधीन नहीं होगी।

6.2 यह प्रस्ताव किया जाता है कि हीरों के खनन के कारोबार में लगी किसी विदेशी कंपनी के मामले में, किसी अधिसूचित विशेष क्षेत्र में अनकटे और अवर्गीकृत हीरों के प्रदर्शन तक सीमित गतिविधियों के जरिए अथवा उनसे प्रोदभूत अथवा सृजित आय भारत में प्राप्त नहीं मानी जाएगी।

6.3 यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है कि ट्रांसमिशन गतिविधि के लिए अधिग्रहित अथवा स्थापित संयंत्र और मशीनरी भी आय कर अधिनियम की धारा 32(1) (जजक) के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए पात्र होगी।

6.4 आयकर अधिनियम की धारा 32 कग की उपधारा (1क) को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि विशिष्ट मूल्य के संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण पिछले वर्ष किया जा सके। तथापि, 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यह्रास का लाभ उठाने के लिए संस्थापन 31.03.2017 तक किया जाए।

6.5 आयकर अधिनियम की धारा 43ख को विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि रेलवे को देय कतिपय विशिष्ट भुगतानों की व्यवसाय आय के रूप में कटौती की तभी अनुमति दी जा सके यदि इसे संगत वर्ष का आय विवरण प्रस्तुत करने की तिथि को अथवा पहले अदा किया गया हो।

6.6 यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी व्यवसाय को न किए जाने के संबंध में प्राप्त / प्राप्तियोग्य अप्रतिस्पर्धी शुल्क कारोबार अथवा व्यवसाय से आय के रूप में कर-योग्य होगा।

6.7 आयकर अधिनियम के उपबंधों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रदत्त शुल्क उस अवधि में चुकाया जा सके जिसमें स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार मंजूर किया गया है।

7. विधि के दुरूपयोगरोधी उपाय

7.1 यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां आयकर अधिनियम की धारा 12कक के अंतर्गत विनियमित कोई न्यास और संस्था धर्मार्थ संगठन नहीं रह जाता है, इस परिवर्तन की तिथि को निवल आस्ति की राशि, जो एक समयावधि में न्यास की आय दर्शाती है, पर अधिकतम सीमान्त दरों पर अतिरिक्त आयकर लगाया जाएगा। इसी प्रकार, यदि भंग किए जाने पर धर्मार्थ न्यास अथवा संस्था भंग किए जाने के एक वर्ष के भीतर अपनी सभी आस्तियां दूसरे धर्मार्थ संगठन को अंतरित नहीं करती है, तो उपचित आय की राशि अंतरित न किए जाने की सीमा तक अतिरिक्त आयकर की इस उगाही के अध्यधीन होगी।

7.2 बीईपीएस कार्रवाई योजना एक्शन 13 जो प्रत्येक सदस्य/भागीदार देश द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए न्यूनतम मानक है, पर ओईसीडी के संबंध में कंट्री बाई कंट्री (सीवीसी) रिपोर्टिंग और मास्टर फाइल प्रस्तुतीकरण के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुपालन न किए जाने के मामले में दंड का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव किया जाना है।

7.3 यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 68 से 69घ के अंतर्गत मानी गई अप्रकटित आय में से हानि कि प्रतिपूर्ति हेतु कोई राशि निर्धारित करने की अनुमति नहीं होगी।

7.4 यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी कंपनी का सीमित देयता वाली भागीदारी कंपनी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आस्तियों के अंतरण के कारण प्राप्त पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा, यदि मौजूदा शर्तों के अतिरिक्त, यह शर्त भी पूरी की जाती हो कि पिछले वर्ष जिसमें उस कंपनी का सीमित देयता भागीदारी में परिवर्तन हुआ था, के पहले के किन्हीं पिछले तीन वर्षों में उक्त कंपनी की कुल आस्तियों का मूल्य पांच करोड़ रूपए से अधिक न रहा हो। अनुरूप शेयरों की पुनः खरीद पर प्रतिलाभ भुगतान से है।

7.5 प्रस्ताव है कि कंपना इन शेयरों की पुनः खरीद का अर्थ कंपनी अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार अपने शेयर खरीदने से है तथा वितरीत आय का अर्थ निर्धारित रूप में तय किए जाने वाले ऐसे शेयरों के लिए कंपनी को प्राप्त हुई राशि द्वारा कम हुए अनुसार शेयरों की पुनः खरीद पर प्रतिलाभ का भुगतान करने से हैं।

8. प्रक्रिया के सरलीकरण के उपाय

8.1 व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के संबंध में आय भी लेखा परीक्षा के लिए आय की आंतरिक सेवा सीमा 25 लाख रूपए से बढ़ाकर 50 लाख रूपए करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44कख का उपबंध संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

8.2 आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि अनुमानित कराधान की उच्चतम सीमा 1 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जा सके। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यदि करदाता अनुमानित कराधान स्कीम के विकल्प का चयन करता है, तो उसे इस स्कीम में 5 वर्ष तक रहना होगा। इसके अतिरिक्त यदि वह पांच वर्षों की अवधि के किसी वर्ष में उक्त स्कीम के अनुसार आय प्रकट नहीं करता है, तो वह अगले पांच वर्षों के लिए इस स्कीम के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

8.3 आयकर अधिनियम की धारा 139 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकें :-

- ❖ किसी भी व्यक्ति को अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा यदि उसने आयकर अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन छूट प्राप्त पूंजीगत आस्ति के अंतरण से लाभ कमाया हो और ऐसी आय उस न्यूनतम धनराशि से अधिक हो जो कर वसूलने योग्य नहीं है।
- ❖ कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पिछले वर्ष के लिए नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत न की हो, संगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व या निर्धारण समाप्त होने से पूर्व, जो भी पहले हो, उसे प्रस्तुत कर सकेगा। वह संगत कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व कर निर्धारण प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले इनमें से जो भी पहले हो, रीटर्न को संशोधित कर सकता है।
- ❖ आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई विवरणी संशोधित नहीं की जा सकती है।
- ❖ किसी ऐसी विवरणी को, जो अन्यथा वैध हो, केवल स्व-निर्धारण कर और धारा 140क के उपबंधों के अनुसार संदेय ब्याज की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को या इससे पूर्व अदायगी न करने के कारण ही दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा।

8.4 आयकर अधिनियम की धारा 211 के उपबंधों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित कुटुम्बों, फर्मों, आदि के मामले में अग्रिम कर की किस्तों की संख्या और नियत तारीखें वहीं होंगी जो कंपनियों पर लागू होती हैं। यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 44कघ के अधीन आनुमानिक कराधान स्कीम के लिए पात्र करदाता वित्त वर्ष की 15 मार्च को या इसके पूर्व एक ही किस्त में अग्रिम कर की संपूर्ण राशि की अदायगी करेगा।

8.5 आयकर अधिनियम की धारा 253 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि आयकर विभाग द्वारा विवाद समाधान पेनल के निदेश के विरूद्ध कोई भी अपील दायर नहीं की जाएगी।

8.6 आयकर अधिनियम की धारा 254 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अपालीय अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को सुधारने के लिए समयसीमा को 4 वर्ष से घटाकर 6 माह किया जा सके।

8.7 आयकर अधिनियम की धारा 281ख को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे उन मामलों में संपत्ति की कुर्की के प्रतिहरण का प्रावधान किया जा सके जिनमें निर्धारिती किसी अनुसूचित बैंक से ऐसी बैंक गारंटी प्रस्तुत करता हो जो ऐसी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम न हो या जिसकी धनराशि राजस्व के हित को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त हो।

8.8 ई-परिवेश में आयकर विभाग की सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने की दिशा में कार्य करने के उद्देश्य से, यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा नोटिस और विलेख इलेक्ट्रानिक रूप में भी जारी किए जाएं।

8.9 आयकर अधिनियम की धारा 147 को यह प्रावधान करने के लिए संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है कि प्रणाली निदेशालय द्वारा आंकड़ा आधार से इस आशय की सूचना मंगाने, कि निर्धारण में आय छुपाई गई है, के आधार पर कर निर्धारक प्राधिकारी किसी मामले को पुनः खोल सकेंगे।

8.10 मुकदमेबाजी को कम करने और प्रारम्भिक नियत समय सीमा में कर संग्रहण के उद्देश्य से, आयकर अधिनियम की उपधारा 143(1) के अधीन विवरणी की प्रक्रिया के समय किए जा सकने वाले समायोजन के दायरे का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण करने से पूर्व, उस विवरणी पर इस अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

निम्न तालिका में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर दर संरचनाओं और विधि एवं प्रक्रिया का सार दिया गया है।

क्रम संख्या	परिवर्तन	विद्यमान	प्रस्तावित
I	**कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना**		
1.	कृषि में सुधार लाने के लिए पहलों को वित्त पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए सभी कर योग्य सेवाओं पर 01.06.2016 से कृषि कल्याण उपकर लगाए जाने का प्रस्ताव है।		0.5%
2.	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत नेशनल सैन्टर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, भारत सरकार द्वारा जानकारी के प्रचार-प्रसार संबंधी प्रदत्त सेवाओं को 01.06.2016 से सेवा-कर से छूट प्रदान की जा रही है।	14%	शून्य
3.	केन्द्रोपरसारित पम्प के निर्माण हेतु अपेक्षित इलैक्ट्रिक मोटर, साफ्ट, स्लीव चेम्बर, इम्पेलर वाशर पर उत्पाद शुल्क कम किया जा रहा है। ऐसे 50% से अधिक पम्पों का उपयोग कृषि में किया जा रहा है।	12.5%	6%
4	परियोजना आयातों के लिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम (फार्म स्तरीय प्री-कूलिंग सहित) के लिए परियोजना आयातों के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध रियायती 5% मूल उत्पाद शुल्क प्रभार का प्री-कूलिंग यूनिट, पैक हाऊसों, सॉर्टिंग तथा ग्रेडिंग लाइनों और राइपनिंग चैम्बर्स सहित कोल्ड चेन पर भी विस्तार किया जा रहा है।	10%	5%
5	रेफ्रिजरेटिड कंटेनरों पर बीसीडी घटाया जा रहा है।	10%	5%
6	रेफ्रिजरेटिड कंटेनरों पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है।	12.5%	6%
7	माइक्रोन्यूट्रिएंटस (उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची 1 भाग (क) के क्र संख्या 1(च) के तहत शामिल किए गए और एफसीओ, 1985 के अधीन पंजीकृत विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित) पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है।	12.5%	6%

8	उर्वरकों के भौतिक मिश्रण, रसायनिक उर्वरकों जिन पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अधीन उर्वरकों के मिश्रण हेतु विनिर्माता का प्रमाणपत्र धारक सहकारी समितियां द्वारा ऐसी सहकारी समितियों के सदस्यों को आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क अदा किया गया है, उन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।	1% (बिना आईटीसी या 6% आईटीसी सहित)	शून्य
II	**कर आधार का दायरा बढ़ाना**	**विद्यमान**	**प्रस्तावित**
1.	निम्न द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर छूट,- (i) विधिक सेवा प्रदान करने वाला कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म; और (ii) किसी विवाचक अधिकरण पर किसी विवाचक अधिकरण के लिए प्रतिनिधित्व वाला कोई व्यक्ति वापिस ली जा रही है और 01.04.2016 से फार्वर्ड प्रभार के अधीन सेवा कर लगाया जा रहा है।	शून्य	14%
2.	मोनोरेल या मैट्रो से संबंधित मूल कार्य के निर्माण, इरेक्शन, कार्य शुरु करने या संस्थापना पर, 1 मार्च, 2016 के पश्चात् हुई संविदाओं के संबंध में 01.03.2016 से छूट वापिस ली जा रही है।	शून्य	5.6%
3.	रोपवे, केबल कार या हवाई ट्रामवे द्वारा यात्रियों को लाने-ले जाने संबंधी सेवाओ से छूट वापिस ली जा रही है।	शून्य	14%
4.	नकारात्मक सूची प्रविष्टि जिसमें "किसी स्टेज कैरिज द्वारा सामान सहित या बिना सामान के यात्रियों के परिवहन संबंधी सेवा" शामिल है, का लोप किया जा रहा है और वातानुकूलित स्टेज कैरिज, निविष्टि कर क्रेडिट के बिना 60% छूट पर 01.06.2016 से पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है।	शून्य	5.6%
5.	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी प्रयुक्त घरेलू सामान को शिफ्ट करने पर छूट को निविष्ट कर क्रेडिट के बिना 60% की दर पर 01.04.2016 से युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।	4.2%	5.6%
III	**निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और सस्ते आवास निर्माण के संवर्धन हेतु उपाय**		
1.	निम्न से संबंधित सेवाओं पर सेवा कर:- (i) सबके लिए मकान (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्माण संबंधित सेवाएं। (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के "भागीदारी में सस्ता आवास"घटक के अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाएं, परन्तु यह कि ऐसी परियोजना की इकाइयों का कुर्सी क्षेत्र 60 वर्ग मीटर से कम न हो। (iii) राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना के तहत आवास परियोजना में 60 वर्ग मी. कुर्सी क्षेत्र	5.6%	शून्य

	के प्रति आवास तक कम कीमत के मकान पर 01.03.2016 से छूट दी जा रही है।		
2.	उत्पाद शुल्क से छूट, वर्तमान में ऐसे स्थल पर निर्माण कार्य में उपयोग हेतु ऐसे स्थल पर विनिर्मित को निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थान पर तैयार मिक्स कंक्रीट विनिर्मित तक विस्तारित किया जा रहा है।	12.5%	शून्य
IV	**सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और पेंशन युक्त समाज की ओर**		
1.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वार्षिकी के तरीके से जीवन बीमा व्यवसाय की सेवा पर सेवा कर में 01.04.2016 से छूट दी जा रही है।	3.5%	शून्य
2.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई सेवाओ पर 01.04.2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
3.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
4.	एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) नीतियों पर सेवा कर की दर निर्धारित मामलों में 3.5% से घटाकर 1.4% की जा रही है।	3.5%	1.4%
5.	ऑटिज्म, सेरेबल पेल्सी, मेटल रिटार्डेशन एन्ड मल्टीपल डिसबिलिटी वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित "निरामय" स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत सामान्य बीमा व्यवसाय की सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
V	**वित्तीय, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र**		
1.	म्यूचुअल फंड एजेंट/वितरक द्वारा किसी म्यूचुअल फंड या आस्ति प्रबंधन कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं पर फार्वर्ड चार्ज के तहत 01.04.2016 से कर लगाया जा रहा है।	14%	14%
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई विनियामक सेवाओं को 01.04.2016 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	
3.	उनके द्वारा बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित, जमाओं, ऋणों, अग्रिमों के विस्तारण द्वारा प्रदान की गई कर योग्य भिन्न सेवाओं के संबंध में वास्तविक निविष्ट कर ऋणों के रिवर्सल हेतु अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं। यह 01.04.2016 से लागू होगा।		

4	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर से 14% शून्य 01.04.2016 से छूट दी जा रही है।	7.5%	10%
VI	**घरेलू मूल्य अभिवर्धन, "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहन देना**		
		विद्यमान	प्रस्तावित
1.	**गुब्बारे**		
	प्राकृतिक लेटेक्स रबर निर्मित गुब्बारों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है।	10%	20%
2.	**आभूषण**		
	नकली आभूषणों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है।	10%	15%
3.	**धातुएं**		
	निम्न पर बढ़ाया जा रहा है :		
	क) प्रारम्भिक एल्यूमिनियम	5%	7.5%
	ख) अन्य एल्यूमिनियम उत्पाद	7.5%	10%
	ग) जस्ता मिश्र धातु	5%	7.5%
4.	**नवीकरणीय ऊर्जा**		
(i)	औद्योगिक सोलर वाटर हीटर पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है।	7.5%	10%
(ii)	सोलर टेम्पर्ड ग्लास/सोलर टेम्पर्ड (एन्टी रिफ्लेक्टिड कोटेड) ग्लास पर बीसीडी छूट वापिस ली जा रही है तथा वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अध्याधीन 5% रियायती बीसीडी लगाया जा रहा है।	शून्य	5%
(iii)	सोलर लैम्प को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।	12.5%	शून्य
5.	**पूंजीगत सामान**		
	अध्याय 84, 85 और 90 में शविनिर्दिष्ट प्रशुल्क लाइनों पर बीसीडी की प्रशुल्क दर बढ़ाई जा रही है।	7.5%	10%
	(i) 115 विनिर्दिष्ट प्रशुल्क लाइनों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर बीसीडी की प्रभावी दर 7.5% ही बनाए रखी जा रही है।	7.5%	7.5%
	(ii) शेष 960 प्रशुल्क लाइनों के तहत आने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर बीसीडी की प्रभावी दर बढ़ाकर 10% की जा रही है।	7.5%	10%
6.	**खनिज ईंधन और खनिज तेल**		
	(i) घरेलू तौर पर उत्पादित कच्चे तेल पर तेल उद्योग विकास उपकर [तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अंतर्गत ओआईडीबी उपकर] की दर घटाई जा रही है।	4500 रू. पीएमटी	20% यथामूल्य

	(ii)निम्न पर बीसीडी युक्ति संगत बनाया जा रहा है: क) कोयलाः बिक्रेट अंडाभ और कोयले से विनिर्मित इसी प्रकार के ठोस ईंधन	2.5%/ 10%	2.5%
	ख) लिग्नाइट, चाहे संचित हो या नहीं, जेट को छोड़कर	10%	2.5%
	ग) पीट (पीट लिटर सहित) चाहे संचित हो अथवा नहीं	10%	2.5%
	घ) कोयले, लिग्नाइट या पीट का कोक और अर्ध-कोक चाहे संपिंडित हो या ना; रिटॉट कार्बन	5% / 10%	5%
	ङ) अन्य पैट्रोलियम गैसों और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बनों से अलग कोयला गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और इसी तरह की गैसें	10%	5%
	च) पुनःसंघटित, टारों सहित कोयले, लिग्नाइट या पीट और अन्य खनिज टारों से आसतित टार, चाहे डीहाइट्रेटिड हों या आंशिक रूप से आसवित	10%	5%
	छ) उच्च ताप वाले कोलतार के आसवन से निकाले गए तेल और अन्य उत्पाद, इसी तरह के उत्पाद जिनमें सुंगधित घटकों का वजन गैर-सुंगधित घटकों से अधिक हो	2.5%/5% / 10%	2.5%
	ज) कोलतार या अन्य खनिज टारों से प्राप्त पिच और पिच कॉक	5% / 10%	5%
7	**रसायन और पैट्रोरसायन**		
(i)	यौक्तिकृत किए जा रहे सभी अचक्रिय हाइड्रोकार्बनों और सभी चक्रिय हाइड्रोकार्बनों (पैरा-जाइलीन और स्टाईरीन को छोड़कर जिस पर क्रमशः शून्य और 2% बीसीडी लगता है) पर बीसीडी	5% / 2.5%	2.5%
(ii)	डीनैचर्ड ईथाइल एल्कोहॉल (इथेनॉल) पर बीसीडी, वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन, घटाया जा रहा है।	5%	2.5%
(iii)	थैलिक एनहाइट्राइड के निर्माण के लिए आर्थोजाइलीन पर एसएडी घटाई जा रहा है।	4%	2%

(iv)	मेम्ब्रेन कोशिका प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली कास्टिक सोडा/पोटाश इकाई द्वारा अपेक्षित इलैक्ट्रोलाइजर्स, मेम्ब्रेनों और उनके भागों पर बीसीडी हटाया जा रहा है।		शून्य
8.	**कागज, पेपरबोर्ड और न्यूजप्रिंट**		
(i)	कागज, पेपरबोर्ड और न्यूजप्रिंट के विनिर्माण के लिए प्रमुख वुड (लकड़ी) चिपों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाया जा रहा है।	बीसीडी- 5%	बीसीडी- शून्य
(ii)	योजनाओं, ड्राइंग और डिजाइनों पर बीसीडी को बढ़ाया जा रहा है।	शून्य	10%
9.	**वस्त्र**		
(i)	विशिष्ट फाइबर और यार्न पर बीसीडी कम किया जा रहा है।	5%	2.5%
(ii)	विशिष्ट फैब्रिक (निर्यात के लिए वस्त्रों के निर्माण के लिए) के आयात पर बीसीडी को विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निर्यातों के जहाज पर्यंत मूल्य के 1% के बराबर की छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी	शून्य
10.	**इलैक्ट्रनिक्स / हार्डवेयर**		
(i)	कैपेसिटर ग्रेड प्लास्टिक फिल्मों में निर्माण के लिए पोलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स/रेजिन्स पर बीसीडी कम किया जा रहा है।	7.5%	शून्य
(ii)	ई-रीडर्स पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है।	शून्य	7.5%
(iii)	ई-रीडर्स के भागों पर बीसीडी कम किया जा रहा है।.	लागू बीसीडी	5%
(iv)	घरेलू माइक्रोवेव ओवनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए 1 कि.वा. से 1.5 कि.वा. की क्षमता के मैग्नेट्रोन पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन कोई बीसीडी नहीं लगाया जा रहा है।	10%	शून्य
(v)	सेमीकन्डक्टर वैफर फैब्रिकेशन/एलसीडी फैब्रिकेशन इकाइयों के लिए मशीनरी, उपस्कर और उपकरण पोप्यूलोटिड पीसीबी को छोड़कर, को छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी एसएडी-4%	शून्य बीसीडी शून्य बीसीडी
(vi)	सेमीकन्डक्टर चिपों की एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों के लिए आयातित मशीनरी, उपस्कर और उपकरण पोप्यूलोटिड पीसीबी को छोड़कर, को छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी एसएडी- 4%	शून्य बीसीडी शून्य बीसीडी

(vii)	चार्जर/एडैप्टर, बैटरी और वायर्ड हेडसेटों/स्पीकरों पर बुनियादी सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क, एसएडी से छूट वापस ली जा रही है।	बीसीडी-शून्य / सीवीडी-शून्य एसएडी-शून्य	लागू बीसीडी उत्पाद शुल्क/ सीवीडी-12.5% एसएडी-4%
(viii)	चार्जर/एडैप्टर, बैटरी और वायर्ड हेडसेटों/स्पीकरों में निर्माण के लिए इन्पुटों, भागों और घटकों, उप-भागों को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी, सीवीडी एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
(ix)	रूटरों, ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स, टीवी के लिए सेट टाप बाक्स, डिजीटल वीडियो रिकार्डर/नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी (मोबाइल हैंडसेटों में प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों, उप-भागों को छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी, सीवीडी एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
(x)	मैग्नेटिक-हेडों (सभी प्रकार के), सीरेमिक/मैग्नेटिक काट्रिज और स्टाइलस, एन्टेना, ईएचटी केबल, लेवल मीटरों/लेवल संकेतकों/ट्यूनिंग संकेतकों/पीक लेवल मीटरों/बैटरी मीटर/वीसी मीटरों/टेप काऊंटरों, टोन आर्म्स, इलैक्ट्रोन गन्स पर बीसीडी की छूट को वापस लिया जा रहा है ।	शून्य	लागू बीसीडी
(xi)	विनिर्धारित दूरसंचार उपस्कर (साफ्ट स्विच और वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआईपी) उपस्कर नामतः वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवें, गेटवे कंट्रोलर्स और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स, आप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर; पैकेट आप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट/स्विच (पीओटीपी/पीओटीएस), आप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) उत्पादों के एक/अधिक का संयोजन, और आईपी रेडियो, केरियर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोउ उत्पाद, मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचन-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल उत्पाद, मल्टीपल इन्पुट/मल्टीपल आउटपुट और लोंग टर्म इवोल्यूशन उत्पाद जिन पर 2014-15 के बजट में 10% बीसीडी लगाया गया था) को अन्य छूट कार्यक्षेत्र से भी बाहर किया जा रहा है।	शून्य	10%

(xii)	टेलीकाम ग्रेड आप्टिकल फाइबर/केबलों के निर्माण के लिए सिलिका की पूर्वरूप (प्रीफॉर्म) पर बीसीडी की छूट को वापस लिया जा रहा है।	शून्य	10%
(xiii)	माइक्रो फ्यूजों, सब-मिनिएचर फ्यूजों, लीसेटेबल फ्यूजों और थर्मल फ्यूजों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए विनिर्धारित पूंजी माल और निवेशों पर बीसीडी की छूट दी जा रही है।	लागू दर	शून्य
(xiv)	बीएलडीसी मोटरों के विनिर्माण के लिए निओडायमियम चुबक (चुंबकीकरण से पूर्व) और चुंबक रेजिन स्ट्रोन्शियम फेर्राइट कम्पाउंड/निर्माण से पहले, (चुंबकीकरण से पूर्व) पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन रियायती बीसीडी निर्धारित किया जा रहा है।	लागू दर	2.5%
(xv)	टेबलेट कंप्यूटर सहित निजी कंप्यूटरों (लैपटॉप या डेस्कटॉप) के विनिर्माण के लिए पोप्यूलेटिड पीसीडी पर एसएडी से छूट वापस ली जा रही है।	शून्य	4%
(xvi)	मोबाइल फोन/टेबलेट कंप्यूटर के पोप्यूलेटिड पीसीबी पर एसएडी से छूट वापस ली जा रही है और मोबाइल फोन/टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण के लिए पोप्यूलेटिड पीसीबी पर रियायती एसएडी लगाया जा रहा है।		2%
(xvii)	मोबाइल फोन विनिर्माताओं को मूल उपस्कर के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले घरेलू रूप से निर्मित चार्जर/एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हेंडसेटों/स्पीकरों पर उत्पाद शुल्क ढांचे को बदला जा रहा है।	शून्य	2% (आईटीसी रहित) या 12.5% (आईटीसी सहित)
(xviii	चार्जर, एडेप्टर, बैटरी और वायर्ड हेंडसेटों, स्पीकरों के विनिर्माण के लिए निवेशों, भागों और घटकों, उप-भागों पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन उत्पाद शुल्क की छूट दी जा रही है।	12.5%/ शून्य	शून्य
(xix)	रूटरों, ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स, टीवी के लिए सेट टाप बाक्स, डिजीटल वीडियो रिकार्डर/नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी (मोबाइल हैंडसेटों में प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों, उप-भागों को बदला जा रहा है।	12.5%	4% (आईटीसी रहित) या 12.5% (आईटीसी सहित)
(xx)	रूटरों, ब्रांडबैंड मोडमों, इंटरनेट की अभिगम्यता के लिए सेटटाप बाक्स, टीवी के लिए सेट टाप	12.5%	शून्य

	बाक्स, डिजीटल वीडियो रिकार्डर/नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, सीसीटीवी कैमरा/आईपी कैमरा,लिथियम आयन बैटरी (मोबाइल हैंडसेटों में प्रयुक्त बैटरियों को छोड़कर) के निर्माण के लिए भागों और घटकों, उप-भागों को छूट दी जा रही है।		
11.	**धातू, कांच और सीरेमिक्स**		
(i)	सिलिका रेत पर बीसीडी कम किया जा रहा है।	5%	2.5%
(ii)	पीतल के कबाड़ पर बीसीडी कम किया जा रहा है।	5%	2.5%
(iii)	एल्यूमिनियम फोयल (पन्नी) से निर्मित डिस्पोजेबल कन्टेनरों पर उत्पाद शुल्क ढांचे को बदला जा रहा है।	2% (आईटीसी रहित) या 6% (आईटीसी सहित)	2% (आईटीसी रहित) या 12.5% (आईटीसी सहित)
12.	**ऑटोमोबाइल**		
(i)	गोल्फ कारों पर बीसीडी बढ़ाया जा रहा है।	10%	60%
(ii)	इलैक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों के हिस्सों पर, फिलहाल शून्य बीसीडी और 6% उत्पाद शुल्क/सीवीडी लगाया जा रहा है।	31.03.2016 तक उपलब्ध	बिना किसी समय सीमा के
(iii)	कैटलिटिक कन्वर्टरों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले वॉश कोटों के विनिर्माण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन बीसीडी कम किया जा रहा है	7.5%	5%
(iv)	शून्य बुनियादी सीमा शुल्क और 6% सीवीडी के उद्देश्यार्थ "एचवी (एटकिन्सन साइकिल) हेतु इंडिन" से "एक्सईवी (हाइब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन) के लिए इंजन" तक की व्याख्या को बदला जा रहा है।	लागू बीसीडी और सीवीडी	शून्य बीसीडी 6% सीवीडी
(v)	रियायती 6% उत्पाद शुल्क के उद्देश्यार्थ "एचवी (एटकिन्सन साइकिल) हेतु इंडिन" से "एक्सईवी (हाइब्रिड इलैक्ट्रिक वाहन) के लिए इंजन" तक की व्याख्या को बदला जा रहा है।	12.5%	6%
13.	**पूंजीगत माल**		
(i)	सड़क निर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्धारित मशीनरी पर सीवीडी की छूट को वापस लिया जा रहा है।	शून्य	12.5%

14.	**रक्षा उत्पादन**		
(i)	भारत सरकार या राज्य सरकरों द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए विनिर्धारित माल के सीधे आयात पर सीमा शुल्क की छूट को 01.04.2016 से वापस लिया जा रहा है।	बीसीडी-शून्य सीवीडी-शून्य एसएडी-शून्य	बीसीडी-5% से 10% सीवीडी-12.5% एसएडी-4%
(ii)	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संविदाकारों या इन पीएसयू के उप-संविदाकारों द्वारा रक्षा उद्देश्यों के लिए आयात किए गए विनिर्धारित माल पर बीसीडी की छूट को 01.04.2016 से वापस लिया जा रहा है।	शून्य	7.5% से 10%
15.	**वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और ऑवरहोल (एमआरओ)**		
(i)	वायुयान के अनुरक्षण, मरम्मत और ऑवरहोल (एमआरओ) के लिए एमआरओ द्वारा आयातित औजार और औजार किटों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन बीसीडी, सीवीडी और एसएडी से छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी, सीवीडी और एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
(ii)	वायुयान के एमआरओ के लिए पुर्जों, परीक्षण उपस्कर, औजारों और औजारसर्किटों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।	लागू उत्पाद शुल्क	शून्य
(iii)	वायुयान के एमआरओ के लिए पुर्जों, परीक्षण उपस्कर, औजारों और औजार सर्किटों पर छूट लाभ की प्रक्रिया को रिकार्डों के आधार पर और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन सरल बनाया जा रहा है।		
(iv)	वायुयान के एमआरओ के लिए निःशुल्क पुर्जों के उपयोग के लिए एक वर्ष की पाबंदी हटाई जा रही है।		
(v)	स्थगन (60 दिन) की मौजूदा शर्तों में और ढील दी जा रही है, ताकि अनुरक्षण, मरम्मत या ओवरहोलिंग के लिए विदेशी वायुयान के 6 महीने तक के स्थगन का प्रावधान किया जा सके, इस अवधि को और विस्तार नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जैसा उपयुक्त समझा जाए दिया जाएगा।		
(vi)	वायुयान के एमआरओ के लिए पुर्जों, परीक्षण उपस्कर, औजारों और औजार-किटों पर उत्पाद		

	शुल्क से छूट का लाभ देने की प्रक्रिया को रिकार्डों के आधार पर सरल बनाया जा रहा है।		
16.	**जहाज मरम्मत/इकाइयां**		
(i)	जहाज मरम्मत इकाई द्वारा समुद्र में जाने वाले जहाजों की मरम्मत के लिए प्रयुक्त पूंजीगत, वस्तुओं और इनके कल-पुर्जों, कच्चा माल, पुर्जे, सामग्री हैंडलिंग उपस्कर और उपभोज्य वस्तुओं पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।	लागू उत्पाद शुल्क	शून्य
(ii)	जहाज मरम्मत इकाइयों को बुनियादी सीमा शुल्क, सीवीडी और एसएडी से छूट का लाभ देने की प्रक्रिया को रिकार्डों के आधार पर और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन सरल बनाया जा रहा है।		
17.	**विविध**		
(i)	रेडियो भेषज के विनिर्माण के लिए विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा मेडिकल यूज फिजन मोलिबडीनम-99 के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क की छूट दी जा रही है।	7.5%	शून्य
(ii)	सेनिटरी पैड्स, नैपकिन्स और टैम्पोन्स के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सुपर एब्जॉर्बेन्ट पोलीमर पर बीसीडी में रियायत दी जा रही है ।	5%	2.5%
(iii)	सेनिटरी पैड्स, नैपकिन्स और टैम्पोन्स के निर्माण हेतु लकड़ी की लुग्दी पर रियायती बीसीडी (वयस्क डायपरों के विनिर्माण के लिए लुग्दी पर बीसीडी पहले ही शून्य है) का प्रावधान किया जा रहा है।	7.5%	5%
(iv)	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिक के पुर्जों या रॉलिंग स्टॉक और रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर्स और फिटिंग्स, रेलवे सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर इत्यादि पर उत्पाद शुल्क कम किया जा रहा है।	12.5%	6%
(v)	राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद द्वारा आयात किए जाने वाले स्टोरेज मीडिया पर "विदेशी सेटलाइट डाटा" को छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी सीवीडी, एसएडी	शून्य बीसीडी शून्य सीवीडी शून्य एसएडी
(vi)	नागालैंड राज्य में स्थानीय जनजातियों द्वारा बिना किसी लाइसेंस या पट्टे के पारंपरिक और प्रथागत अधिकारों का लाभ उठाते हुए उत्पादित या उत्खनित कोयला, लिग्नाइट या पीट, सभी माल पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर/स्वच्छ पर्यावरण उप-कर की छूट दी जा रही है।	200 रुपए प्रतिटन	शून्य

(vii)	लकड़ी जलाने, कृषि अपशिष्ट, गोबर, ब्रिकेट्स और कोयला जलाने के लिए धुआंरहित चूल्हों सहित उन्नत कुक स्टॉव पर उत्पाद शुल्क से बिना शर्त छूट दी जा रही है।	शून्य	शून्य
18.	**अयस्क, सांद्र**		
	इन पर निर्यात शुल्क घटाया गया :		
	क) 58% से कम एफई कंटेंट वाले लौह अयस्क फाइन	10%	शून्य
	ख) 58% से कम एफई कंटेंट वाले लौह अयस्क लंपस	30%	शून्य
	ग) क्रोमियम अयस्क और सांद्र, सभी प्रकार के	30%	शून्य
	घ) बाक्साइट	20%	15%
19.	**वस्त्र**		
(i)	ब्रांडेड रेडिमेड परिधानों और 1000 रुपए या उससे अधिक के खुदरा बिक्री मूल्य वाले वस्त्रों की निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क परिवर्तित किया जा रहा है।	शून्य (आईटीसी रहित) अथवा 6%/12.5% (आईटीसी सहित)	2% (आईटीसी रहित) अथवा 12.5% (आईटीसी सहित)
(ii)	रेडिमेड परिधानों और वस्त्रों से बनी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी प्रयोजनार्थ टैरीफ मूल्य परिवर्तित किया जा रहा है।	खुदरा बिक्री मूल्य का 30%	खुदरा बिक्री मूल्य का 60%
(iii)	प्लास्टिक वेस्ट अथवा वेस्ट पेट बोतलों सहित प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित पीएसएफ/पीएफवाई पर उत्पाद शुल्क परिवर्तित किया जा रहा है।	2% (आईटीसी रहित) अथवा 6% (आईटीसी सहित)	2% (आईटीसी रहित) अथवा 12.5% (आईटीसी सहित)
20.	**नवीकरणीय ऊर्जा**		
(i)	रोटर ब्लेड्स और मध्यवर्तियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त कार्बन पलट्रूजंस, पवन चालित बिजली के जनरेटरों हेतु रोटर ब्लेड्स के भागों और उप-भागों पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है।	12.5%	6%
(ii)	अनसेचुरेटिड पालिएस्टर रेसिन (पालिएस्टर आवांटित इन्फ्यूजन रेसिन और हैंडलेअप रेसिन), अधेसिव रेसिन हेतु हार्डनर्स/हार्डनर, विनाइल ईस्टर एडेसिव और इपोक्सी रेसिन जो पवन चालित बिजली के जनरेटरों हेतु रोटर ब्लेड के विनिर्माण में	शून्य	6%

	प्रयोग होते हैं, उन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है।		
(iii)	"परियोजना शुरू होने की तारीख से कम से कम दस वर्ष के लिए नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु शहरी स्थानीय निकाय के साथ विद्युत आयातक/उत्पादक के बीच वैध करार" को नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना के मामले में रियायती सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क लेने के लिए वैकल्पिक शर्त की व्यवस्था की जा रही है।		
21.	**गहने**		
	गहनों की मदों (हीरे जड़ित अन्य कीमती नगों नामत रूबी, पन्ना और नीलम जड़े के सिवाय चांदी के गहनों को छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क छूट वापस ली जा रही है जिसकी उच्च सीमा छूट एक वर्ष में 6 करोड़ रुपए और सरल अनुपालन प्रक्रिया के साथ पात्रता सीमा 12 करोड़ रुपए होगी।	शून्य	1% (आईटीसी रहित) अथवा 12.5% (आईटीसी सहित)
22.	**फुटवियर**		
(i)	सोलों और हीलों के लिए रबड़ शीट और रेसिन रबड़ शीटों पर उत्पाद शुल्क घटाया जा रहा है।	12.5%	6%
(ii)	सभी प्रकार के फुटवियरों हेतु आरएसपी आधारित उत्पाद शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ खुदरा बिक्री मूल्य से छूट दर संशोधित की जा रही है।	25%	30%
23.	**सेवा कर**		
(i)	क) भारत से बाहर किसी जहाज द्वारा माल की ढुलाई करते हुए भारतीय पोत लाइनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं 1 मार्च, 2016 से शून्य दर वाली होने; और ख) जहाज द्वारा भारत के बाहर से भारत के सीमाशुल्क स्टेशन तक माल की ढुलाई करते हुए उनके द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं पर 1 जून, 2016 से सेवा कर लगाया जा रहा है।	कोई क्रेडिट नहीं शून्य	इन्पुट कर क्रेडिट छूट 14%
(ii)	बायोटेक्नोलाजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से अनुमोदित बायोटेक्नोलाजी उष्मायित्रों से सेने की व्यवस्था करने की सेवाओं को 01.04.2016 से सेवा कर से मुक्त किया जा रहा है।	14%	शून्य
(iii)	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हुए दी गई सेवाओं पर 01.04.2016 से सेवा कर छूट दी जा रही है।	14%	शून्य

(iv)	प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से पैनलबद्ध मूल्यांकन निकायों की सेवाओं पर 01.04.2016 से सेवा कर छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
(v)	अधिसूचना संख्या 41/2012-एसटी अधिसूचना संख्या 1/2016/एसटी द्वारा संशोधित की गई थी ताकि अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात हेतु फैक्टरी आदि से दूर ली गई सेवाओँ पर सेवा कर की वापसी की अनुमति है। यह संशोधन 1 जुलाई 2012 से प्रभावी किया जा रहा है। यह वित्त विधेयक 2016 के लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा।		
(vi)	सेवा कर का तिमाही भुगतान का विस्तार "एक व्यक्ति कंपनी" और एचयूएफ तक भी 01.04.2016 से किया जा रहा है।		
(vii)	सेवा कर अदायगी की सुविधा प्राप्ति आधार पर "एक व्यक्ति कंपनी" को भी 01.04.2016 से दी जा रही है।		
VI	**ईज आफ डुइंग बिजनेस**		
1	अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित 13 उपकर, जहां उनमें से प्रत्येक से राजस्व संग्रहण एक वर्ष में 50 करोड़ रुपए से कम है, समाप्त किए जा रहे हैं।		
2.	सभी अप्रत्यक्ष करों पर शुल्क/कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर 15% पर युक्तिसंगत की जा रही है सिवाय एकत्रित सेवा कर परन्तु खजाने में जमा न कराए गए के मामले के सिवाय, जिस मामले में सेवाकर अदायगी की नियत तारीख से 24% ब्याज की दर लगेगी। नोटिस द्वारा कवर किए गए पिछले वर्ष/वर्षों के दौरान कर योग्य मूल्य के निर्धारण 60 लाख रुपए से कम हैं तो सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर 12% होगी। यह वित्त विधेयक, 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।	सीमाशुल्क 18% उत्पाद शुल्क 18% सेवाकर 18% 24% 30%	सीमाशुल्क सेवाकर 15%. कर संग्रहित परन्तु जमा नहीं कराए कर के मामले में 24%
3	विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों अथवा खनन पट्टों, एनईएलपी-पूर्व संविदाओं, एनईएलपी संविदाओं, मार्जिनल फील्ड नीति और कोल बेड मीथेन नीति के विभिन्न प्रकारों के अन्तर्गत पेट्रोलियम खोज हेतु आयातित निर्दिष्ट वस्तुओं पर सीमाशुल्क से छूटों		

	को निर्दिष्ट वस्तुओं और शर्तों की एकीकृत सूची के चलते एकल छूट में आमेलित किया जा रहा है।		
4	हाइड्रोकार्बन की खोज और उत्पादन की गतिविधियों के लिए जरूरी सामानों के आयातों पर शून्य बुनियादी सीमा शुल्क और शून्य सीवीडी को 1 अप्रैल 1999 से पहले जारी अथवा नवीकृत पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों अथवा खनन लाइसेंसों के अंतर्गत शुरू किए ऐसे कार्यचालनों तक दिया जा रहा है।		
5	क्रेडिट के प्रवाह बढ़ाने, अनुपालन लागत व मुकदमेबाजी घटाने, खासकर छूट प्राप्त-भिन्न तेयार उत्पादों/सेवाओं के बीच ऋण के बंटवारे से संबंधित हैं, सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 संशोधित किए जा रहे हैं। कतिपय परिस्थितियों में आउटसोर्स्ड विनिर्माताओं को इन्पुट सेवा क्रेडिट अंतरण हेतु इस सुविधा के विस्तार सहित इन्पुट सेवा वितरक से संबंधित प्रावधानों में भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये संशोधन बहुल विनिर्माण इकाइयों को काम में आने वाली वस्तुओं हेतु साझा भांडागार का रखरखाव करने और व्यष्टि विनिर्माण यूनिटों को क्रेडिटों से काम आने वाली वस्तुएं वितरित करने के चलते विनिर्माताओं को समर्थ बनाएंगे। यह 01.04.2016 से प्रभावी होगा।		
6	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं ताकि वित्त विधेयक, 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से एक बार मुख्य नोटिस के विरुद्ध कार्रवाई बन्द होने पर सह-नोटिसों के विरुद्ध कार्रवाई बंद करने की व्यवस्था की जा सके।		
7	कतिपय निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की रियायती दरों पर सामान के आयात अथवा घरेलू खरीद हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियम सरल किए जा रहे हैं।		
8	एक खास सीमा से ऊपर केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती हेतु विवरणियों की संख्या 27 से घटाकर 13, एक वार्षिक और 12 मासिक विवरणियां की जा रही हैं। एक खास सीमा से ऊपर, वार्षिक विवरणी सेवा कर निर्धारिती द्वारा भरी जाएगी जिससे उनके लिए वर्ष में कुल विवरणियों की संख्या तीन हो जाएगी।		
9	अब तक सेवा कर निर्धारिती को उपलब्ध विवरणी में संशोधन की सुविधा विनिर्माताओं को भी दी जा रही है।		
10	अभियोजन शुरू करने के लिए सेवा कर अपवंचन की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जा		

	रही है और गिरफ्तार करने की शक्ति उन स्थितियों तक सीमित कर दी गई है जहां कर दाता ने कर एकित्रित तो किया परन्तु 2 करोड़ रुपए की सीमा से ऊपर राजकोष में जमा नहीं कराया। यह वित्त विधेयक, 2016 से प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा।		
11	अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों हेतु सीमाशुल्क के आस्थगित भुगतान हेतु व्यवस्था करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम संशोधित किया जा रहा है। पोत परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श से प्रत्यक्ष पत्तन प्रदायगी की सुविधा अधिक आयातकों तक ही जा रही है।		
12	बजट 2014-15 में भारतीय सीमाशुल्क एकल विंडो परियोजना क्रियान्वित करने का आशय घोषित किया गया था। उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है ताकि यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में प्रमुख पत्तनों और वायुपत्तनों पर शुरू की जाएगी।		
13	डाक अथवा हवाई या कूरियर सेवा द्वारा आयातित सदभावपूर्ण उपहार के लिए शुल्क युक्त आयात छूट बढ़ाई जा रही है ।	10,000 रुपए	20,000 रुपए
14	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य समाहर्ताओं को निदेशित किया जा रहा है कि पांच लाख रुपए से कम के शुल्क वाले पंद्रह वर्ष से लंबित मामलों में अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन दायर करें।		
VII	**स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम**	**विद्यमान**	**प्रस्तावित**
1	कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लागू "स्वच्छ ऊर्जा उपकर" का नाम बदलकर "स्वच्छ पर्यावरण उपकर" किया जा रहा है और इसकी दर बढ़ाई जा रही है।	200 रुपए पीएमटी	400 रुपए पीएमटी
2	70% छूट की विद्यमान दर पर रेल द्वारा यात्रियों के आवागमन पर 01.04.2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है।	4.2% बिना क्रेडिट	4.2% इनपुट सेवा क्रेडिट सहित
3	60% की घटी रियायती दर पर रेल द्वारा कंटेनरों में सामान की ढुलाई पर 01.04.2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है।	4.2% बिना क्रेडिट	5.6% इनपुट सेवा क्रेडिट

			सहित
4	विद्यमान 70% की रियायती दर पर जहाज द्वारा माल की ढुलाई पर 01.04.2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है।	4.2% बिना क्रेडिट	4.2% इनपुट सेवा क्रेडिट सहित
5	70% जहाजों (वेसल) द्वारा माल की ढुलाई पर 01.04.2016 से इनपुट सेवाओं के क्रेडिट की छूट दी जा रही है।	4.2% बिना क्रेडिट	4.2% इनपुट सेवा क्रेडिट सहित
6	बिजली के वाहनों/हाइब्रिड वाहनों के निर्दिष्ट पुर्जो पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क रियायतों को बढ़ाया जा रहा है।	31.03.2016 तक	समय सीमा बगैर
7	किसी प्लास्टिक के सैकों और बैगों पर उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत किया जा रहा है।	12.5% अथवा 15%	15%
VIII	**मुकदमेबाजी कम करना और कराधान में सुनिश्चता की व्यवस्था करना**		
1	अप्रत्यक्ष कर विवाद निपटान स्कीम, 2016 शुरू की जा रही है जिसमें समाहर्त्ता (अपील) के समक्ष लंबित पड़े मामलों के संबंध में निर्धारिती शुल्क, ब्याज और लगाई गई शास्ति के 25% के समकक्ष शास्ति का भुगतान करके घोषणा दायर कर सकता है। निर्धारिती के विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी जाएगी और उसे अभियोजन से सुरक्षा भी प्राप्त होगी। तथापि, यह स्कीम कुछ मामलों में लागू नहीं होगी।		
2	उत्पाद शुल्क का खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन 30% रियायती दर वाले हेडिंग 3401 और 3402 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं पर किया जा रहा है।		
3	उत्पाद शुल्क का खुदरा बिक्री मूल्य आधारित मूल्यांकन इन तक भी किया जा रहा है : (क) 0.2 एमएम से अनधिक की मोटाई वाली एल्युमिनियम फायल (25% रियायत वाली) (ख) कलाई पर पहनी जाने वाली चीजें (सामान्यतया "स्मार्ट घड़ियों" के रूप में जानी जाने वाली) (35% रियायत के चलते) (ग) मोटर वाहनों के कल-पुर्जे (30% रियायत के चलते)		
4	निम्न सेवाओं के लिए 01.03.2015 से पहले हुई संविदाओं के संबंध में 01.04.2015 से छूटों से बहाल किया जा रहा हैः (क) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण को सरकारी विद्यालय, अस्पताल	कुल राशि का 5.6%	शून्य

	आदि के निर्माण के संबंध में सरकार को उपलब्ध कराया गया निर्माण (ख) पत्तनों, वायुपत्तनों का निर्माण		
5	1 जुलाई, 2012 से 29 जनवरी, 2014 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्थापित निकायों का निर्माण, नहरों, बांधों अथवा अन्य सिंचाई के निर्माण कार्यों के रखरखाव करके दी गई सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है।	कुल राशि का 5.6%	शून्य
6	कराधान नियमों के बिंदु, 2011 के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए धारा 67क संशोधित की जा रही है। वित्त विधेयक, 2016 के प्रवृत्त होने की तारीख से कराधान नियमों के बिंदु, 2011 तदनुसार संशोधित किए जा रहे हैं।		
7	1994 के अधिनियम की धारा 93क संशोधित की जा रही है ताकि अधिसूचना के जरिए भी रियायत की अनुमति दी जा सके ।		
8	वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65ख (44) में स्पष्टीकरण-2 संशोधित किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी लाटरी वितरक अथवा बिक्री एजेंट द्वारा किए जा रहे कोई कार्य सेवा कर के दायी होंगे।		
9	यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कंटेनर ट्रेन आपरेटरों की उनकी कंटेनर गाड़ी से ढुलाई द्वारा दी गई सेवा "रेल द्वारा माल की ढुलाई" की सेवा है।	14%	4.2%
10	भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा 2 वर्षीय पूर्ण कालिक प्रबंधन में स्नात्तकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम और प्रबंधन में फेलोशिप कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा को छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
11	सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 संशोधित किए जा रहे हैं ताकि इन्पुट्स/इनपुट सेवाओं, जिनका प्रयोग सामान्यतया करयोग्य उत्पादन सेवाओं और ऐसा कार्यकलाप जो "सेवा" नहीं है, में किया जाता है, के सेनवैट क्रेडिट के उलटाव की व्यवस्था की जा सके।		
12	सेवाओं के निर्यात के मामले में अधिसूचना संख्या 27/2012-सीई (एनटी) 01.03.2016 से संशोधित की जा रही है ताकि निर्यात सेवा के मामले में सेनवैट क्रेडिट की वापसी हेतु आवेदन दायर करने की समय सीमा निर्दिष्ट तारीख से 1 वर्ष निर्धारित की जा सके।		
13	सरकार के रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रयोग करने और इसके उत्तरवर्ती अंतरण के अधिकतर कार्य को करें सेवा घोषित किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट	14%	14%

	किया जा सके कि स्पेक्ट्रम के प्रयोग करने के अधिभार का कार्य सेवा है जो सेवा कर की दायी है और यह अप्रत्यक्ष सामान की बिक्री नहीं है।		
14	सेवा कर से छूट प्राप्त करने के लिए मोटर कैब सेवाओं को किराये पर देने की सेवाओं से प्राप्त लाभ में ईंधन की लागत शामिल करने के लिए अधिदेशित करने की शर्त 01.04.2016 से प्रारंभ की जा रही है ।		
15	आरएसपी युक्त मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं पर सेवा कर से छूट दी जा रही है बशर्ते उपयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य
16	सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ("खुदरा बिक्री हेतु नहीं" मीडिया पर दर्ज सॉफ्टवेयर के संबंध में) पर उत्पाद शुल्क और सेवा कर की वसूली के संबंध में पारस्परिक अनन्यता की केवल सेवा कर का भुगतान किए गए सौदा मूल्य पर ही उत्पाद शुल्क से छूट देकर सुनिश्चित किया जा रहा है।	14%	14%
IX	**यौक्तिकीकरण/परिहार रोधी उपाय**	**मौजूदा**	**प्रस्तावित**
1	आवासीय परिसर आदि के निर्माण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में 70% की छूट दर को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है 01.04.2016 से प्रभावी।	3.5%/ 4.2%	4.2%
2	गोल्ड डोर बार पर रियायती सीवीडी को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे गोल्ड डोर या गोल्ड खनिज/कन्सन्ट्रेट से निर्मित परिष्कृत गोल्ड बार, सिल्वर डोर बार और कॉपर और या कन्सन्ट्रेट पर रियायती उत्पाद शुल्क में परिष्कृत सोने पर मौजूदा क्षेत्र आधारित छूट के अंतर्गत उत्पाद शुल्क में छूट को भविष्यलक्षी प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है। सिल्वर डोर बार पर रियायती सीवीडी और परिष्कृत सिल्वर पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है।	सीवीडी 7% उत्पाद शुल्क 8%	सीवीडी 7.75% उत्पाद शुल्क 8.5%
3	उर्वरकों के विनिर्माण हेतु फौसफोरिक अम्ल एवं अम्लीय अमोनिया के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित की जा रही है।		
4	एलसीडी/एलईडी/ओएलईडी टेलीविजनों के विनिर्माण हेतु एलसीडी/एलईडी/ ओएलईडी पैनलों के संबंध में वास्तविक प्रयोक्ता शर्त निर्धारित की जा रही है।		
5	चूना के ट्यूब/पाउच रहित चबाने वाले तंबाकू के विनिर्माण पर प्रति मशीन प्रति महीना देय उत्पाद शुल्क के साथ समस्तरीय किया जाता है जिसके लिए दोनों उत्पादों के लिए एक सा स्पीड स्लैब निर्धारित किया जाएगा।		
6	टूर ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर	वसूली गई	वसूली गई

	कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर छूट दर को 70% पर युक्तिसंगत बनाया जा रहा है 01.04.2016 से प्रभावी।	राशि का 3.5%/ 5.6%	राशि का 4.2%
7	चिट फंड के फोरमैन की सेवाओं पर सेवा कर की दर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 30% छूट के साथ युक्तिसंगत बनाई जा रही है 01.04.2016 से प्रभावी।	राशि का 14%	राशि का 9.8%
8	सेनवेट ऋण नियमों में संशोधन किया जा रहा है ताकि सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक को जिस अवधि तक अधिकार सौंपे गए हैं उस अवधि तक प्राकृतिक संसाधनों को सौंपे जाने के लिए अवफ्रंट प्रभारों पर देय सेवा कर प्राप्त करने का अधिकार मिले, 01.04.2016 से प्रभावी ।		
9	कतिपय लोक कला पर क्लासिकल कला रूप में कलाकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर प्रति कार्यक्रम 1.5 लाख रुपए तक कर दी गई है 01.04.2016 से प्रभावी ।	14%	शून्य
X	**अतिरिक्त संसाधन जुटाना**	**मौजूदा**	**प्रस्तावित**
1	छिलकायुक्त काजू पर बीसीडी में वृद्धि की जा रही है।	शून्य	5%
2	वातित जल, नींबू शरबत और अन्य प्रकार के जल पेय जिसमें चीनी या अन्य मिष्टिकारी पदार्थ हो या कोई फ्लेवर मिला हो, के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	18%	21%
3	क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम के अंतर्गत हवाई जहाज को आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन को छोड़कर विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम के अंतर्गत हवाई जहाज की आपूर्ति किए जाने वाले एटीएफ पर 8% उत्पाद शुल्क जारी रहेगा।	8%	14%
4	शीर्ष 8703 के मोटर वाहनों पर निम्नलिखित ढांचा उपकर लगाया जा रहा है:		
	क) 4 मीटर तक की लंबाई और 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता के पेट्रोल/एलपीजी/ सीएनजी चालित मोटर वाहन	-	1%,
	ख) 4 मीटर तक की लंबाई और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले डीजल चालित मोटर वाहन	-	2.5%,
	ग) अन्य उच्चतर इंजन क्षमता वाले वाहन और एसयूवी तथा बड़े मोटर कार		

	तिपहिया वाहनों, विद्युत चालित वाहनों, संकर वाहनों, ईंधन सेल प्रौद्योगिकी आधारित हाइड्रोजन व्हीकल, क्लियरेंस और पंजीकरण के बाद खेल टैक्सी के रूप में चलाए जाने वाले मोटर वाहन, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कार तथा ऐंबुलेंस के रूप में क्लियर कराए गए मोटर वाहन या केवल ऐंबुलेंस के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन को इस उपकर से छूट प्राप्त होगी। इस उपकर का भुगतान करने के लिए किसी भी ऋण की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा किसी भी अन्य शुरू को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	-	4%
XI	**विविघ**	**मौजूदा**	**प्रस्तावित**
	तंबाकू तथा तंबाकू उत्पाद		
1.	सिगार और चुरूट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	12.5% या प्रति हजार 3375 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो	12.5% या प्रति हजार 3755 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो
2.	छोटे सिगारों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	12.5% या प्रति हजार 3375 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो	12.5% या प्रति हजार 3755 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो
3.	तंबाकू प्रतिस्थापन पदार्थों से निर्मित सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि	प्रति हजार 3375 रुपए	प्रति हजार 3755 रुपए
4.	तंबाकू प्रति एकल पदार्थों से निर्मित छोटे सिगारों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	12.5% या प्रति हजार 3375 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो	12.5% या प्रति हजार 3755 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो
5.	अन्य प्रकार के तंबाकू प्रतिस्थापन पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	12.5% या प्रति हजार 3375 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो	12.5% या प्रति हजार 3755 रुपए इनमें से जो भी अधिक हो

6.	गुटका चबा जाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित) और जर्दा सुंगधित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है ।	70%	81%
7.	अविनिर्मित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा रही है।	55%	64%
8.	पेपर रोल्ड बिडियों (हाथ से या मशीन से निर्मित) तथा अन्य बीडियों (हाथ से बनी बीडियों के अतिरिक्त) पर उत्पाद शुल्क दर में वृद्धि की जा रही है।	शुल्क दर प्रति हजार 30 रुपए प्रभावी दर प्रति हजार 21 रुपए	शुल्क दर प्रति हजार 80 रुपए प्रभावी दर प्रति हजार 21 रुपए
9	सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि	रुपए प्रति हजार	रुपए प्रति हजार
(i)	गैर फिल्टर, 65 मिमी से अनधिक	70	215
(ii)	गैर फिल्टर, 65 मिमी से अधिक किंतु 70 मिमी से अनधिक	110	370
(iii)	फिल्टर, 65 मिमी से अनधिक	70	215
(iv)	फिल्टर, 65 मिमी से अधिक किंतु 70 मिमी से अनधिक	70	260
(v)	फिल्टर, 70 मिमी से अधिक किंतु 75 मिमी से अनधिक	110	370
(vi)	अन्य	180	560
10	**अन्य उत्पाद**		
(i)	निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयोग अनेक सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायक उपकरण, तथा अन्य वस्तुओं पर बीसीडी । यह छूट ब्रेल पेपर के लिए लागू की जा रही है।	बीसीडी 10%	शून्य बीसीडी
(ii)	कृत्रिम वृक्क के लिए डिस्पोजेबल स्टेरिलाइजर और माइक्रो बैरियर को बुनियादी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/सीवीडी और एसएडी से छूट दी जा रही है।	लागू बीसीडी, उत्पाद शुल्क/सीवीडी , एसएडी लागू	शून्य बीसीडी शून्य उत्पाद शुल्क/ सीवीडी शून्य एसएडी
XII	**विधायी संशोधन**	**वित्त विधेयक 2016 के खंड**	
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		
	भांडागारण संबंधी उपबंधों को सरल बनाया जा रहा है ताकि अधिकतर मामलों में उनपर वास्तविक नियंत्रण के बाजार रिकार्ड आधारित नियंत्रण रखा जा सके। अनेक अन्य परिणामी परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962		

	की धारा 25 संशोधित की जा रही है। धारा 80 भी सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु जारी अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर प्रकाशन और पेश करने की आवश्यकता सीबीईसी के प्रचार और लोक संपर्क, निदेशालय द्वारा हटा दी गई ।
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धाराओं 28,47,51 और 156 में संशोधन किया जा रहा है ताकि उन्हें पिछले रिकार्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क के भुगतान की व्यवस्था की जा सके।
	ऐसी नई श्रेणी में भांडागारों, जिनके लिए निरंतर वास्तविक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, के लिए नई धारा 58क अंतर्विष्ट की जा रही है जिन्हें मूल संवेदी वस्तुओं के भंडारण हेतु लाइसेंस दिया जाएगा नई धारा 58ख अंतर्विष्ट की जा रही है ताकि लाइसेसों के रद्दीकरण की प्रक्रिया, जो लाइसेंस प्रदान करने की एक आवश्यक बात है, को विनियमित किया जा सके।
	सीमा शुल्क विभाग की बांड के तहत विनिर्माण सुविधाओं के पर्यवेक्षण तथा ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रदान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को अधिकार प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क विभाग की शुल्क का भुगतान करने से संबंधित वाक्यांश का लोप करने के लिए धारा 65 में संशोधन किया जा रहा है।
	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि कुछ मामलो में नामकरण की सभावित प्रणाली में अतिरिक्त परिवर्तन किया जा सके जो 01.01.2017 से प्रभावी होगा।
	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि (क) प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में उत्पादित या मानव निर्मित पर संवर्धित या संश्लेषित हीरे के लिए अलग-अलग प्रशुल्क तय किए जा सकें; (ख) प्रशुल्क लाइन 5801 37 11 (वार्प पाइल फ्रेब्रिक्स "ईपीएनजीएलई" अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त) तथा 5801 37 19 (वार्प पाइल फ्रैब्रिक्स "ईपीएनजीएलई अनकट वेल्वेट अन्य के उल्लेख युक्त) के स्थान पर प्रशुल्क लाइन 5801 39 10 (वार्प पाइल फैब्रिक्स अनकट") को प्रतिस्थापित किया जाए। (ग) वायरलेस माइक्रोफोन से संबंधित प्रशुल्क लाइन 8525 50 50 का विलोप करें; (घ) अध्याय 27 की पूरक टिप्पणियों (ङ) और (च) में संशोधन करना ताकि संदर्भ हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) हेतु आईएसः 1460:2000 से लेकर आईएसः 1460:2005 में तथा लाइट डीजल तेल (एलडीओ) के लिए आईएसः 1460 से आईएस 15770:2008 में परिवर्तन किया जा सके।
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944
	धारा 5क में संशोधन किया जा रहा है ताकि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु जारी की गई अधिसूचना के सीबीईसी के प्रचार तथा जन संपर्क निदेशालय द्वारा जारी किए जाने की तारीख को प्रकाशन तथा विक्रय हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा का लोप किया जा सके।
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क में संशोधन किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी, निषेध आदि शामिल न होने के मामलों में सीमा अवधि एक वर्ष से दो वर्ष की जा सके।

	केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 37ख में संशोधन किया जा रहा है ताकि बोर्ड की आदेश, अनुदेश और निदेश जारी करने की शक्तियों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के क्रियान्वयन की शक्ति प्राप्त हो सके।
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की तीसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि उसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सके : 1) शीर्ष 3401 और 3402 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं; 2) 0.2 मिमी से अनधिक मोटाई के एल्यूमिनियम फ्वॉयल; 3) कलाई पर पहने जाने वाले उपकरण (आमतौर पर स्मार्ट घड़ियों के रूप में ज्ञात) तथा मोटर वाहन पुर्जे; 4) मोटर वाहन और अन्य विनिर्दिष्ट वस्तुओं के पुर्जे ।
	केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985
	केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 की पहली और दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि 01.01.2017 से प्रभावी कुछ अध्यायों में समन्वित नामकरण प्रणाली (एचएनएस) में संपादकीय परिवर्तनों को शामिल किया जा सके।
	केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है ताकि : (क) प्रयोगशाला निर्मित या प्रयोगशाला में उत्पादित या मानव निर्मित पर संवर्धित या संश्लेषित हीरे के लिए अलग-अलग प्रशुल्क तय किए जा सकें; (ख) प्रशुल्क लाइन 5801 37 11 (वार्प पाइल फ्रेब्रिक्स "ईपीएनजीएलई" अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त) तथा 5801 37 19 (वार्प पाइल फ्रैब्रिक्स "ईपीएनजीएलई अनकट वेल्वेट के उल्लेख युक्त) के स्थान पर प्रशुल्क लाइन 5901 39 10 (वार्प पाइल फैब्रिक्स अनकट") को प्रतिस्थापित किया जाए। (ग) वायरलेस माइक्रोफोन से संबंधित प्रशुल्क लाइन 8525 50 50 का विलोप किया जाए। (घ) अध्याय 27 की पूरक टिप्पणियों (ङ) और (च) में संशोधन करना ताकि संदर्भःहाई स्पीड डीजल (एचएसडी) हेतु आईएसः 1460:2000 से लेकर आईएसः 1460:2005 में तथा लाइट डीजल तेल (एलडीओ) के लिए आईएस 1460 से आईएस 15770:2008 में परिवर्तन किया जा सके।
	वित्त अधिनियम 1994 (सेवा कर)
	धारा 73 में संशोधन किया जा रहा है ताकि सेवाकर की कम उगाही/उगाही न होने कम भुगतान/भुगतान न होने/त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए सीमा अवधि वित्त विधेयक, 2016 के प्रवृत्त होने की तिथि से 18 महीनों से बढ़ाकर 30 महीने की जा सके।
	केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956
	केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 3 में संशोधन किया जा रहा है ताकि निम्नलिखित स्पष्टीकरण की अंतर्विष्ट किया जा सके : *स्पष्टीकरण* - यदि किसी एक कॉमन कैरियर पाइप-लाइन या किसी अन्य कॉमन परिवहन वितरण प्रणाली से खरीदी या वाहित गैस पाइपलाइन या प्रणाली में आपस में मिल जाती है या प्रतिमोच्य हो जाती है तथा ऐसी गैस पाइपलाइन या प्रणाली में किसी एक राज्य में डाली जाती हो तथा पाइपलाइन से किसी दूसरे

	राज्य में निकाली जाती हो तो गैस की ऐसी बिक्री या खरीद की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही मानी जाएगी।
	केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000
	केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 की धारा 10 में संशोधन किया जा रहा है ताकि विभिन्न प्रयोजनार्थ उपकर के पुनःवितरण हेतु एक फार्मूला प्रदान करने के लिए उपधारा (1) के खंड (viii) को प्रतिस्थापित किया जा सके।
	धनशोधन निवारण अधिनियम 2002, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा परिचालक (संपत्ति की जब्ती अधिनियम 1976) तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995)
	इन अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित तीन अधिकरणों को आमेलित किया जा रहा है तथा यह प्रावधान किया जा रहा है कि तस्कर तथा विदेशी मुद्रा परिचालक (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत स्थापित अपील अधिकरण इन सभी तीनों अधिनियमों के अंतर्गत अधिकरण इन सभी तीनों अधिनियमों के अंतर्गत किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।
	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 14क में संशोधन किया जा रहा है ताकि आयकर अधिनियम 1961 से संलग्न द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निहित उपबंधों को शामिल किया जा सके ताकि ऐसे अधिकारी को, जो सहायक निदेशक से कम स्तर का न हो, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके फेमा 1999 के अंतर्गत लगाए गए दंड की बकाया राशि वसूल सके।
	विविध
	अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीमों से संबंधित विभिन्न अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है ताकि ऐसी अधिसूचनाओं में सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की "धारा 8" में दिए गए संदर्भ को "धारा 8ख" में भी संशोधित किया जा सके जिससे कि अग्रिम लाइसेंस और शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीमों के अंतर्गत आयातों पर इन अधिसूचनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धारा 8ख के अधीन सुरक्षित शुल्क से वह छूट स्पष्टतः प्रदान की जा सके।
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत नियम तथा अधिसूचनाएं
	मौजूदा असबाब नियमावली, 1998 के स्थान पर असबाब नियमावली 2016 प्रति स्थापित की जा रही है ताकि विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध शुल्क मुक्त छूट के विभिन्न स्लैबों को सरल और युक्तिसंगत बनाया जा सके।
	सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु रियायती शुल्क पर वस्तुओं का आयात) निमयावली 1996 को सरल बनाया जा रहा है।
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत निर्मित विनियम
	सीमा शुल्क असबाब प्रकटन विनियम, 2013 में संशोधन किया जा रहा है ताकि असबाब के संबंध में घोषणा केवल उस यात्री द्वारा की जाए जो शुल्क योग्य या निषिद्ध सामानों को अपने साथ ले जा रहा है।